HARYANA VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PETITIONS

(2012-2013)

(THIRD REPORT)

REPORT

on

Various Petitions received by the Committee

(Presented to the House on 11 March 2013)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2013

TABLE OF CONTENTS

Sr No		Page No
	Composition of Committee on Petitions	(iii)
	Introduction	(v)
	Petition Received from	
	Shri Kaptan Singh R/o Sabzi Mandi Gohana Distt Sonepat	1
	Sh Subhash Chand Retd Light-man Municipal Corporation Gurgaon R/o H No 319 Bhim Nagar New Vijay Sweets Gurgaon	3
3	Smt Sharda Devi W/o Sh Lal Chand R/o H No 18/17/12 Old Gobindpura Delhi	5
	Sh Ashok Bhatia S/o Shri Dhanpat Rai R/o H No 708 Sector 1 Rohtak	6
5	Smt Dhanpati Devi and other Pensioners Rohtak	8
6	Sh Ramesh Chander S/o Sh Sube Singh R/o Vill Garhi Sarai Namdar Khan Tehsil Gohana District Sonepat	10
7	Smt Kiran Devi W/o Late Sh Chander Parkash 866/6 Partap Mohalla Rohtak	12
8	Shri Monu Ram S/o Sh Nakli Ram Kailash Nagar Tehsil & Distt Karnal and Sh Brij Pal Sharma Nambardar Sh Jaswant Singh Sh Sunder Lal Sharma Sh Madan Pal and Other Residents of Village Andhera Tehsil and Distt Karnal	13
9	Sh Kulwant Singh S/o Sh Sawag Singh Vill Khijra Bad Tehsil Assand Distt Karnal	19
10	Sh B L Sethi H No 113 Sector 1 HUDA Rohtak	26
11	Sh S N Bansal Retd Workshop Instructor (Auto) Vaish Technical Institute Rohtak	29
12	Smt Parveen Makkar W/o Sh Ashok Makkar R/o 688/23 DLF Colony Rohtak	31
13	President The Haryana Public Interest Society Sirsa (Regd)	33
14	Sh Anil Vij MLA Ambala Cantt	40

Sr No		Page No
15	Sh Khazan Singh S/o Sh Bhulla Ram VPO Jadaula Tehsil and Distt Kaithal	51
16	Residents of Village Chaugawan Block Indri District Karnal	54
17	Ms Vani Malik D/o Sh Vinod Kumar Malik H No 101 Mansarover Colony Rohtak	55
18	Smt Savita Sharma D/o Sh Kamal Krishan R/o H No 131/4 Shivaji Colony Rohtak	56

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON PETITIONS
(2012 2013)

CHAIRPERSON

1 Shri Bharat Bhushan Batra

MEMBERS

2 Shri Aftab Ahmed

3 Shri Zile Ram Sharma

4 Shri Dharam Singh Chhoker

5 Dr Ashok Kashyap

6 Master Dharam Pal Obra

7 S Dilbagh Singh

SPECIAL INVITEE

*8 Shri Phool Singh Kheri

* 9 Shri Krishan Lal Kamboj

SECRETARIAT

1 Shri Sumit Kumar Secretary

2 Shri V K Kakkar Superintendent

(*Nominated by Hon ble Speaker on 3rd May 2012)

(**Nominated by Hon ble Speaker on 9th May 2012)

INTRODUCTION

1 I Bharat Bhushan Batra Chairperson of the Committee on Petitions having been authorized by the Committee in this behalf present this Third Report of the Committee on Petitions on the various Petitions received by the Committee

2 The Committee considered all the Petitions as per the details given in the Report and examined the concerned Government Officers The Committee made its observations and has tried its level best to redress the grievances of the Petitioners to the maximum extent

3 The Committee considered and approved this report at their sitting held on 16th February 2013

4 A Brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

5 The Committee would like to express their thanks to the Government Officers and other representatives of various departments who appeared for oral evidence before them for the cooperation in giving information to the Committee

6 The Committee is also thankful to the Secretary and other Officer/ Officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole hearted cooperation and assistance given by them to the Committee

Chandigarh (Bharat Bhushan Batra)

The 16th February 2013 CHAIRPERSON

REPORT

The Committee on Petitions for the year 2012-13 consisting of seven Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha on 20th April 2012 under Rule 273 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the House Shri Bharat Bhushan Batra MLA was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon ble Speaker Two special invitees were also nominated by the Hon ble Speaker to serve on this Committee

The Committee held 60 sittings during the year 2012-13 (till finalization of the Report)

1 **PETITION RECEIVED FROM SHRI KAPTAN SINGH R/O SABZI MANDI, GOHANA, DISTT SONEPAT REGARDING NO ACTION TAKEN IN IRREGULARITIES IN THE RECRUITMENT OF GUEST TEACHERS**

The Petition received from Shri Kaptan Singh on 16 05 2012 is as under—

सेवा मे

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा हरियाणा
सैक्टर 5 पचकूला।

विषय अतिथि अध्यापको की भर्ती मे धाधली को पकड़े जाने पर भी कारवाई न होने के कारण शिकायत हेतु।

श्री मान जी

निवेदन है कि मै यह शिकायती पत्र पाचवी बार शिक्षा निदेशालय को भेज रहा हूँ। मै इस पत्र के माध्यम से उन सभी अतिथि अध्यापको के खिलाफ शिकायत भेज रहा हूँ जो वर्ष 2006 को शिक्षा विभाग मे शैक्षिणिक योग्यता के नियमो को ताक पर रख कर अतिथि अध्यापक भर्ती किए गए थे भर्ती मे धाधली के बारे मे अखबारो मे भी आई जिसकी फोटो प्रति भी साथ सलग्न है तथा एक ऐसे अध्यापक का उदाहरण दे रहा हूँ जो समान योग्यता रखते हुए एक को हटा दिया गया तथा दुसरी ऐसी ही अतिथि शिक्षिका लक्ष्मी देवी पुत्री श्री विनोद कुमार रा व म बहारी (करनाल) 01774 आज भी विभाग मे भर्ती प्रक्रिया को ताक पर रखकर विभाग कि चयन प्रक्रिया को धोखा देकर नौकरी कर रही है। अत आपसे प्रार्थना है कि ऐसे अतिथि अध्यापको की छानबीन करके तुरन्त कारवाई करने का कष्ट करे।

धन्यवाद।

प्रार्थी
हस्ता०/
कप्तान सिह
सब्जी मण्डी गोहाना
जिला सोनीपत (हरियाणा)

दिनाक

The above Petition was placed before the Committee in its meeting held on 16 05 2012 and the Committee desired that comments of the concerned department may be obtained within 15 days The Committee did not receive any reply from the concerned department Therefore a reminder was issued on 15 06 2012 Thereafter a reply was received on 15 06 2012 from Director School Education Haryana which reads as under —

प्रेषक

निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा पचकूला।

सेवा मे

जिला शिक्षा अधिकारी
करनाल।

यादि क्रमाक 23/9 2012 तम (4)
दिनाक पचकूला

विषय **Regarding no action taken in irregularities on the Recruitment of Fuest Teachers**

उपरोक्त विषय पर श्री कप्तान सिंह सोनीपत ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय के माध्यम से शिकायत भेजते हुए सूचित किया है कि श्री लक्ष्मी देवी गैस्ट हिन्दी प्राध्यापिका रा व मा वि बहारी (करनाल) जोकि हिन्दी गैस्ट प्राध्यापिका की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नही करती है। इस बारे मे जाच करके जाच रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर निदेशालय को भेजे ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। इसके साथ यह भी अकित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मी देवी गैस्ट हिन्दी प्राध्यापिका रा व मा वि बहारी (करनाल) ने माननीय उच्च न्यायालय मे कोई याचिका दायर की है तो उसकी वर्तमान स्थिति बारे भी निदेशालय को अवगत करवाया जाए।

कृप्या इसे प्राथमिकता दी जाए।

अधीक्षक तालमेल
कृते निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा पचकूला।

पृष्ठाकन क्रमाक सम — दिनाक पचकूला 14 6 2012

इसकी एक प्रति अधीक्षक हरियाणा विधान सभा सचिवालय के पत्र क्रमाक HVS/Petition/12 13/ 7089 दिनाक 18 05 2012 के सदर्भ मे भेजते हुए लिखा जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी करनाल से जाच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त आपको वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा।

अधीक्षक तालमेल
कृते निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा पचकूला।

The Committee orally examined the departmental representatives in its meeting held on 31 10 2012 The Director School Education Haryana appeared before the Committee and stated that the petitioner has alleged that Smt Lakshmi Devi did not fulfil the qualification and also levelled allegations against her Smt Lakshmi Devi has got stay from the Hon ble High Court Even then the department conducted the inquiry in which it has been found that she fulfilled the basic qualification

After hearing the Director School Education Haryana the Committee observed that the Petitioner Shri Kaptan Singh can seek remedy according to law in any competent authority/ jurisdiction When legal remedy is available to the Petitioner the Committee cannot entertain such Petition and the Committee disposed off the petition

---

2 PETITION RECEIVED FROM SH SUBHASH CHAND, RETD LIGHT MAN, MUNICIPAL CORPORATION, GURGAON R/O H NO 319, BHIM NAGAR, NEW VIJAY SWEETS, GURGAON, REGARDING NON PAYMENT OF BALANCE AMOUNT OF RS 17,301/ AFTER RETIREMENT

The Petition received from Sh Subhash Chand Retd Light Man reads as under —

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

विषय **पैन्शन स्वीकृत होने पर 17301/ रुपये की रोकी गई राशि वापिस देने बारे।**

श्री मान जी

सेवा मे निवेदन यह है कि निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा चण्डीगढ के यादि क्रमाक 2011/16655 दिनाक 2 5 2011 द्वारा मेरी पैन्शन स्वीकृत की गई थी। पैन्शन स्वीकृति पत्र की फोटो प्रति सलग्न है। पैन्शन स्वीकृत करते समय मेरी 17301/ रुपये की राशि रोक ली गई थी। कृपया करके मेरी रोकी गई राशि 17301/ रुपये मुझे दिलाने की कृपा करे जबकि मेरी रिटायरमैन्ट 31 8 2009 को हो गई थी।

मेरा पी पी ओ न 5543 है।

प्रार्थी
हस्ता०/
सुभाष चन्द सेवा निवृत
लाईटमैन नगर निगम
गुडगाव
हाल आबाद मकान न 319 भीम नगर
नजदीक विजय स्वीटस गुडगाव।

The above Petition was placed before the Committee in its meeting held on 08 08 2012 and the Committee desired that comments of the concerned department may be obtained within 15 days The Committee received reply from Commissioner Municipal Corporation Gurgaon vide their letter dated 06 11 2012 which reads as under—

प्रेषक

आयुक्त
नगर निगम गुडगाव।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

क्रमाक J C (HQ)/MCG/2012/3046

विषय **Meetıng of Commıttee on petıtıons**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक HVS/Petıtıons/2/2012/17765 73 दिनाक 31 10 2012 के सदर्भ मे।

विषयाधीन मामले मे सदर्भित पत्र के बिन्दू न० 4 नगर निगम गुडगाव से सम्बन्धित है। विषयोक्त मामले मे श्री सुभाष चन्द सेवा निवृत लाईटमैन मकान न० 319 भीम नगर गुडगाव से व्यक्तिगत रूप मे सुनवाई की गई। याची ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह नगर निगम गुडगाव से दिनाक 31 08 2009 के सेवानिवृत हुआ है। उसकी पैशन सम्बन्धित किसी प्रकार की भी राशि नगर निगम गुडगाव द्वारा नही रोकी गई और ना ही कोई राशि बकाया है। नगर निगम गुडगाव के साथ उसका पैशन सम्बन्धित कोई विवाद नही है। प्रार्थी ने लिखित मे आवेदन किया है कि पिटिशन उस द्वारा नही डाली गई। उसे पैशन सम्बन्धित पूरी राशि प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त तथ्यो के दृष्टीगत आपसे अनुरोध है कि वर्तमान याचिका को रदद करने की अनुशसा की जाती है।

DA/प्रार्थी का आवेदन।

सयुक्त आयुक्त (मु०)
कृते आयुक्त
नगर निगम गुडगाव।

The Commıttee orally examıned the departmental representatıves ın ıts meetıng held on 07 11 2012 The CAO Munıcıpal Corporatıon Gurgaon appeared before the Commıttee he has placed the paper on record an applıcatıon submıtted by the petıtıoner that petıtıoner has no grıevances regardıng release of pensıon agaınst Munıcıpal Corporatıon Gurgaon He also states that the petıtıon has not been filed by hım In vıew of the documents placed on record the Commıttee dıs posed off the petıtıon

---

3 PETITION RECEIVED FROM SMT SHARDA DEVI W/O SH LAL CHAND R/O H NO 18/17/12, OLD GOBINDPURA, DELHI REGARDING TAKING LEGAL ACTION AGAINST OMAXE CITY, ROHTAK

The Petition received from Smt Sharda Devi on 26 09 2012 reads as under—

सेवा मे

चेयरमैन
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा।

विषय **रोहतक स्थित ओमेक्स सिटी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही बारे।**

श्री मान जी

प्रार्थीया निम्न प्रार्थना करती है –

1 यह कि प्रार्थीया शारदा देवी पत्नी लालचन्द निवासी मकान न 18/17/12 ओल्ड गोबिन्दपुरा दिल्ली की रहने वाली है।

2 यह कि प्रार्थीया ने एक ग्राउड फलौर जिसका न OHHR 617 (ग्राउड फलौर) कोमल अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी 140/34 विश्वकर्मा नगर रोहतक से खरीद किया हुआ है। इस बाबत उपरोक्त कम्पनी के द्वारा उक्त Transfer को प्रमाणित किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि साथ सलग्न है।

3 यह कि प्रार्थीया शारदा देवी के द्वारा यह फलौर कोमल अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार से खरीद किया गया था और इस बाबत उपरोक्त फलौर के एवज मे पूरी रक्म भी कोमल अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार को दे दी गई है। प्रार्थीया के द्वारा जब उपरोक्त कम्पनी को इस फलौर के Transfer के कागज अपने नाम करमे की दरखास्त दी तो उपरोक्त कम्पनी ने बिना किसी लिखित के प्रार्थीया को उक्त Transfer यह कहकर मना कर दिया कि यह फलौर उपलब्ध नही है अत Transfer नहीं की जा सकती। प्रार्थीया यह सुनकर परेशान हुई कि जिस फलौर को कोमल अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार के नाम Transfer किया गया जिस पर कम्पनी ने यह प्रमाणित भी किया उस फलौर को प्रार्थीया के नाम Transfer के समय स्थानान्तरित क्यो नही किया जा रहा।

4 यह कि जब प्रार्थीया ने ओमेक्स सिटी रोहतक के द्वारा जारी किया गया नक्शा देखा तो उस नक्शे मे यह फलौर दर्शायी गई है लेकिन जब प्रार्थीया के द्वारा Country Town Planning के नक्शे को देखा तो वह यह देखकर दग रह गया कि उपरोक्त नक्शे मे इस नम्बर पर कोई भी फलौर न दर्शाया गया।

5 यह कि प्रार्थीया को व प्रार्थीया के द्वारा खरीदे गए फलौर के पूर्व मालिक कोमल अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार को ओमेक्स सिटी रोहतक के द्वारा धोखा दिया गया है। प्रार्थीया को गलत जानकारी देकर व गुमराह करके उपरोक्त फलौर के एवज मे पैसा ऐठा गया है ठगा गया है। जबकि Country Town Planning के नक्शे के अनुसार उपरोक्त फलौर कही न दर्शाया गया जबकि ओमेक्स सिटी के द्वारा दर्शाये गए नक्शे के मुताबिक फलौर दिखलायी गई है।

अत प्रार्थना है कि ओमेक्स सिटी रोहतक के एम डी /चेयरमैन/मैनेजर व मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जावे व इनके खिलाफ धोखाधडी ठगी व गलत जानकारी देकर गुमराह करने बाबत भारतीय दण्ड सहिता की धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज किया जावे व प्रार्थीया को न्याय दिलवाया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय

हस्ता०/

शारदा देवी पत्नी लालचन्द

निवासी मकान न 18/17/12

ओल्ड गोबिन्दपुरा दिल्ली।

दिनाक 19/9/2012

स्थान रोहतक

The Committee orally examined the Chief Town Planner Haryana Senior Town Planner Town & Country Planning Department Rohtak Director Omaxe Limited and Petitioner in its meeting held on 10 10 2012 After hearing the petitioner and the representatives of department and Omaxe Ltd the Committee asked representatives of Omaxe Ltd to settle the dispute with the petitioner within 15 days The Committee orally examined the representatives of Omaxe Ltd and the petitioner in its meeting held on 26 10 2012 After hearing the petitioner and the representatives of Omaxe Ltd the Committee made following observations —

Shri Ashok Bhatia the petitioner s brother is present He stated that his dispute has been settled with the respondent Omaxe Limited He does not want to pursue the petition further He stated that he is authorized to bring a statement on behalf of his Sister Smt Sharda Devi W/o Shri Lal Chand On behalf of her sister he stated that the grievance of her sister is redressed As no grievance is left the petition is disposed off accordingly

4 PETITION RECEIVED FROM SH ASHOK BHATIA S/O SHRI DHANPAT RAI R/O H NO 708, SECTOR 1, ROHTAK REGARDING TAKING LEGAL ACTION AGAINST OMAXE CITY, ROHTAK

The Petition received from Sh Ashok Bhatia on 26 09 2012 reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा।

विषय **रोहतक स्थित ओमेक्स सिटी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही बारे।**

श्रीमान जी

प्रार्थी निम्न प्रार्थना करता है

1 यह कि प्रार्थी अशोक भाटिया पुत्र श्री धनपतराय निवासी मकान न 708 ए सैक्टर 1 रोहतक का रहने वाला है।

2 यह कि प्रार्थी ने एक फलौर जिसका न० OHHR 617 (पहली मजिल) सचेत कुमार पुत्र श्री हवा सिह निवासी 292/3 रघुबीर पुरा पार्क रोड गोहाना सोनीपत से खरीद किया हुआ है। जो कि सचेत कुमार के द्वारा श्री अशोक कुमार भतेजा पुत्र श्री अशोक बसीलाल भटेजा निवासी 1268/19 हरिनगर रोहतक से खरीद किया हुआ है। इस बाबात उपरोक्त कम्पनी के द्वारा उक्त Transfer को प्रमाणित किया गया है।

3 यह कि प्रार्थी अशोक कुमार भाटिया के द्वारा यह फलौर सचेत कुमार से खरीद किया गया था और इस बाबत उपरोक्त फलौर के एवज मे पूरी रकम भी सचेत कुमार को दे दी गई है। प्रार्थी के द्वारा जब उपरोक्त कम्पनीा को इस फलौर के Transfer के कागज अपने नाम करने की दरखास्त दी तो उपरोक्त कम्पनी ने बिना किसी लिखित के प्रार्थी को उक्त Transfer यह कहकर मना कर दिया कि यह फलौर उपलब्ध नही है अत Transfer नहीं की जा सकती। प्रार्थी यह सुनकर परेशान हुआ कि जिस फलौर को सचेत कुमार के नाम Transfer किया गया जिस पर कम्पनी ने यह प्रमाणित भी किया उस फलौर को प्रार्थी के नाम Transfer के समय स्थानान्तरित क्यो नहीं किया जा रहा।

4 यह कि जब प्रार्थी ने ओमेक्स सिटी रोहतक के द्वारा जारी किया गया नक्शा देखा तो उस नक्शे मे यह फलौर दर्शायी गई है लेकिन जब प्रार्थी के द्वारा Country Town Planning के नक्शे को देखा तो वह यह देखकर दग रह गया कि उपरोक्त नक्शे मे इस नम्बर पर कोई भी फलौर न दर्शाया गया।

5 यह कि प्रार्थी को व प्रार्थी के द्वारा खरीदे गए फलौर के पूर्व मालिक श्री सचेत कुमार को ओमेक्स सिटी रोहतक के द्वारा धोखा दिया गया है। प्रार्थी को गलत जानकारी देकर व गुमराह करके उपरोक्त फलौर के एवज मे पैसा ऐठा गया है ठगा गया है। जबकि Country Town Planning के नक्शे के अनुसार उपरोक्त फलौर कही न दर्शाया गया जबकि ओमेक्स सिटी के द्वारा दर्शाये गए नक्शे के मुताबिक फलौर दिखलायी गई है। (नक्शे की प्रतिलिपि साथ सलग्न है)।

अत प्रार्थना है कि ओमेक्स सिटी रोहतक के एम डी /मैनेजर/चेयरमैन व मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जावे व इनके खिलाफ धोखाधडी ठगी व गलत जानकारी देकर गुमराह करने बाबत भारतीय दण्ड सहिता की धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज किया जावे व प्रार्थी को न्याय दिलवाया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय
हस्ता०/
अशोक भाटिया पुत्र श्री धनपत राय
निवासी मकान न 708
सैक्टर 1 रोहतक।

दिनाक 19/9/2012
स्थान रोहतक

The Committee orally examined the Chief Town Planner Haryana Senior Town Planner Town & Country Planning Department Rohtak Director Omaxe Limited and Petitioner in its meeting held on 10 10 2012 After hearing the petitioner and the representatives of department and Omaxe Ltd the Committee asked

representatives of Omaxe Ltd to settle the dispute with the petitioner within 15 days The Committee orally examined the representatives of Omaxe Ltd and the petitioner in its meeting held on 26 10 2012 After hearing the petitioner and the representatives of Omaxe Ltd the Committee made following observations -

> Shri Ashok Bhatia the petitioner is present He stated that his dispute has been settled with the respondent Omaxe Limited He does not want to pursue the petition further As no grievance is left the petition is disposed off accordingly

---

5 PETITION RECEIVED FROM SMT DHANPATI DEVI AND OTHER PENSIONERS, ROHTAK REGARDING RELEASE OF PENSION

The Petition received from Smt Dhanpati Devi and other pensioners reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा।
चण्डीगढ।

श्रीमान जी

नम्र निवेदन है कि हम सेवानिवृत कर्मचारी तथा पारिवारिक पैशनर कोषाधिकारी कार्यालय रोहतक के माध्यम से पैशन ले रहे है पहले दबाव देकर बैको मे स्थानान्तरण किया गया था। मुख्यमन्त्री हुडडा साहब के आदेश पर जो जहा से लेना चाहे वही से पैशन ले सकता है। लेकिन अब निदेशक खजाना द्वारा फिर हमारे उपर दबाव दिया जा रहा है कि पैशन बिना पैन कार्ड और बैक खाते के नही मिलेगी।

सभी पैशनर 70 75 वर्ष की आयु के है अनपढ तथा विधवा औरते है जो गाव से आते है जिन का पैन कार्ड नही है बैक मे खाते भी नही है। वृद्ध होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अत माननीय महोदय से सानुरोध प्रार्थना है कि हमे कोषाधिकारी रोहतक के माध्यम से नकद तथा पहले की भाति पैशन दिलवाई जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

सलग्न मुख्यमन्त्री महोदय के आदेश की छाया प्रति

भवदीय
हस्ता०/
समस्त पैशनर

The Committee orally examined the Director Treasuries and Accounts Department Haryana in its meeting held on 26 10 2012 who explained the new e Pension disbursement system in detail After hearing him the Committee desired that reply to the petition in question along with copy of whole e pension disbursement

system along with all relevant instructions/schemes in this regard be sent to the Committee within 15 days for its information The said reply and the desired information was received on 05 11 2012 The copy of the desired information has been placed on record and the reply is as under —

From

Director
Treasuries & Accounts Department
Haryana Chandigarh

To

Secretary
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh

Memo No TA HR (DMC)2012/2799 Dated 5/11/12

Subject — **Meeting of the Committe on Petitions**

Please rerer to your memo No HVS/Petition/2/2012/16949 57 dated 15/10/2012 on the subject cited above In this regard this is brought to your kind notice that instruction dated 14-05-2012 was issued by Government The instruction requires that pension disbursement will be through EPS only So it is essential to provide bank details for this purpose However PAN will be required only if Pensioners/ family pensioner has taxable income as TDS is to be deducted by DDO (Treasury Officer) in such case In other cases the pensioner can make request to the Treasury Officer to declare him as Non PAN Entity and there will not be any requirement of PAN

Further Government has also implemented the e Pensoion system to disburse the payment of pensions/family pension w e f 01-10 2012

This new system has following benefits —

1 In the e Pension system pensioners are no longer required to visit Treasury/Sub Treasury office every month for getting their pension They are only required to be present in Treasury/Sub Treasury twice a year at the interval of six months

2 Pension will be credited in the pensioner s account on due date by Treasury/Sub-Treasury office automatically The only condition is that the pensioners should have bank

3 Earlier only 7 banks were authorised for pension disbursement but now under e Pension system more banks have been authorized for the benefit of pensioners

4 Earlier Government had no data base regarding the number of pensioners for liability of budget purpose Now with the implementation of e Pension Government will be in a position to have exact no of pensioners and Human Resource Management System (HRMS)

5 In e pension system all the documents relating to pension are being kept in digital form which will ensure up keep of pension documents in case of loss of original document

6 It is pertinent to mention here that Government has issued the new instructions vide memo no 14/81/2012 5FA dated 10 09 2012 that the scheme for payment of pension through e Pension system would be applicable for all pensioners or family pensioners of Government of Haryana who start drawing their pension on or after 01 08 2012 For all other pensioners they can draw their pension through the existing system (EPS) and the scheme would be extended to all pensioners in phases as decided by the Finance Department for time to time

Joint Director
Treasuries and Accounts Department
Haryana Chandigarh

Since the desired reply/information has been received and the Committee felt satisfied with reply/information the Committee disposed of the petition

---

6 PETITION RECEIVED FROM SH RAMESH CHANDER S/O SH SUBE SINGH R/O VILL GARHI SARAI NAMDAR KHAN, TEHSIL GOHANA, DISTRICT SONEPAT REGARDING COMPLAINT AGAINST SHRI BIJENDER SINGH, J E , SHRI RAM NIWAS, SDO AND SHRI J S RANA XEN IRRIGATION DEPARTMENT DIVISION, GOHANA

The Petition received from Sh Ramesh Chander reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा।
चण्डीगढ।

विषय **दरखास्त बराये करने कानूनी कार्यवाही बरखिलाफ।**

1 बिजेन्द्र जे ई 2 रामनिवास S D O तथा XEN J S Rana सिचाई विभाग ड़िवीजन गोहाना तथा दिलाये जाने बकाया कार्य राशि।

श्री मान जी

प्रार्थी सविनय कथन करता है कि यह है कि वह दि पूजा श्रम एव निर्माण समिति लि० गढी सराय नाम दार खॉ तहसील गोहाना जिला सोनीपत का सचालक है।

2 यह है कि प्रार्थी ने 9 2 2011 को XEN J S Rana के साथ एक एग्रीमेट किया था जिसके तहत बूर्जी न 39500 से 83000 बी एस बी की टूटी फूटी लाईनिग की मरम्मत का कार्य ठेके

पर लिया था जो कि महकमे नहर के नियमो के अनुसार लिया गया था जिसे निर्धारित समय से पहले ही 30 5 2011 को प्रार्थी ने पूरा कर दिया था। जिसका पूरा एसटीमेट कार्य पूरा होने के 2 महीने बाद (बिजेन्द्र जे ई रामनिवास S D O) ने बनाया था जबकि एसटीमेट कार्य चलने से पहले या कार्य चलते समय बनना चाहिए था। इन्होने कार्य पूरा होने के 2 महीने बाद एसटीमेट बनाने पर भी कार्य मे कटौती की गई।

3 यह कि उपरोक्त कार्य मरम्मत से बाहर से मिट्टी लाई गई थी जो सिचाई विभाग मे उपलब्ध न कराई जिस वजह से प्रार्थी ने 1 50 000 रु के लगभग मिट्टी डलवाई थी।

4 यह कि उपरोक्त विभाग की तरफ से प्रार्थी को केवल 8 00 000 रु दिये गए है जो गलत व नाजायज है।

अत जनाब से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके कार्य करने की बकाया राशि दिलाई जाए व उपरोक्त दोषी गणो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

जनाब कि अति कृपया होगी।

भवदीय
हस्ता०/
रमेश चन्द्र S/o श्री सुबे सिह
सचालक दि पूजा श्रम एव निर्माण समिति लि०
गढी सराय नामदार खॉ
तहसील गोहाना
जिला सोनीपत।

The Petition was placed before the Committee held on 19 07 2012 and the Committee desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days

The Committee in its meeting held on 26 09 2012 orally examined Sh J S Rana XEN Irrigation Department Division Gohana and the Petitioner Shri J S Rana stated that full payment has been made to the petitioner On being asked by the Committee the petitioner also stated that his grievance has been nursed and he has no grievance against the Department Hence the Committee disposed off the petition

7 PETITION RECEIVED FROM SMT KIRAN DEVI W/O LATE SH CHANDER PARKASH, 866/6, PARTAP MOHALLA, ROHTAK REGARDING PASSING OF HIS MEDICAL BILL

The Petition received from Smt Kiran Devi reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय **मेडिकल बिल पास करवाने बारे।**

श्री मान जी

निवेदन यह है कि मै किरन देवी पत्नी स्व श्री चन्द्र प्रकाश जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक मे एस एल ए के पद पर कार्यरत थे। मैने अपना आप्रेशन (बाई पास सर्जरी) 17 6 2011 को महाराजा अग्रसेन हस्पताल दिल्ली से करवाया था जिसका बिल विभाग द्वारा अभी तक अदा नही किया गया। मेरे पास ईलाज व आप्रेशन के दौरान खर्चे के कागजात बिल आदि है। मैने एम ई ब्राच चण्डीगढ को कई बार बिल पास करने के लिए प्रार्थना की परन्तु कोई सुनवाई नही हो रही है।

श्रीमान जी मै बहुत ही आर्थिक तगी से गुजर रही हू मैने लोगो से कर्ज लेकर ईलाज करवाया है अब मुझे पैसो की अत्य त आवश्यकता है। कृपा करके तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा मेरा मेडिकल बिल पास करवाया जाए। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

प्रार्थी
हस्ता०/
किरन देवी
पत्नी स्व श्री चन्द्र प्रकाश
866/6 प्रताप मौहल्ला रोहतक।

The Petition was placed before the Committee held on 26 10 2012 and the Committee desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days

The Committee in its meeting held on 22 11 2012 orally examined the Director-General Higher Education Haryana who informed the Committee that the case has been settled and they will also pay the due balance amount She also submitted a copy of order dated 21 11 12 vide which sanction to reimburse the medical charges amounting to Rs 89 411/- has been accorded and this amount has been released to the petitioner In view of this the Committee disposed off the petition

---

8 PETITION RECEIVED FROM SHRI MONU RAM S/O SH NAKLI RAM, KAILASH NAGAR, TEHSIL & DISTT KARNAL AND SH BRIJ PAL SHARMA, NAMBARDAR, SH JASWANT SINGH, SH SUNDER LAL SHARMA, SH MADAN PAL AND OTHER RESIDENTS OF VILLAGE ANDHERA TEHSIL AND DISTT KARNAL, REGARDING COMPLAINT AGAINST SH PRITAM SINGH SAINI, SHO, KARNAL

The Petition received from Shri Monu Ram S/o Sh Nakli Ram Kailash Nagar Tehsil & Distt Karnal and Sh Brij Pal Sharma Nambardar Sh Jaswant Singh Sh Sunder Lal Sharma Sh Madan Pal and other residents of village Andhera Tehsil and Distt Karnal which was forwarded by the Hon ble Speaker on 12-1-2012 reads as under —

सेवा मे

अध्यक्ष महोदय
हरियाणा विधानसभा
चण्डीगढ।

विषय गैर कानूनी तौर पर मारपीट करने तथा पैसे मागने बारे।

श्रीमान जी

मै मोनू पुत्र श्री नकली राम गाव कैलाश तहसील करनाल का रहने वाला हूँ। मै दिनाक 3 1 2012 को अपने घर पर था इस दौरान करीब दोपहर तीन बजे के आस पास श्री अनिल कुमार खनन अधिकारी (खान एव भू गर्भ विभाग) व श्री प्रीतम सिह एस एच ओ करनाल मेरे घर पर आये तथा कहने लगे कि तू रेता वगैरा बेचता है इसलिए आप मुझे 20 हजार रुपये दे। मैने रुपये देने से इन्कार कर दिया तो वो मिलकर मुझे थाने ले गये थाने मे जाकर मेरे साथ जानवारो जैसा बर्ताव किया तथा बुरी तरह से पीटा।

श्रीमान जी मेरा क्या कसूर है ? न तो मै रेता बेचता हूँ और न ही मेरे पास उनको देने के लिये पैसे है ? इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप उक्त अफसरो के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि भविष्य मे कोई भी अफसर किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव व मारपीट न कर सके। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी
हस्ता०/
मोनू पुत्र श्री नकली राम
गाव कैलाश तहसील करनाल।

सेवा मे

श्रीमान कुलदीप शर्मा जी
विधान सभा अध्यक्ष हरियाणा।

विषय दरखास्त बराये प्रीतम सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बारे।

श्रीमान जी

1 निवेदन यह है कि प्रार्थीगण गाव अन्धेडा तहसील व जिला करनाल के रहने वाले है और पडित जाति से सम्बन्ध रखते है।

2 यह है कि गाव अन्धेडा मे दो पक्षो का आपस मे बाबत बाडा झगडा दिनाक 23 12 2011 को हो गया था जिस की दरखास्त थाना सदर करनाल मे दी थी।

3 यह है कि उक्त झगडा राजबीर शर्मा पुत्र श्री लाल सिह निवासी अन्धेडा व पवन कुमार पुत्र श्री हुकम सिह जाति कश्यप राजपूत वगैरा के बीच हुआ था जिसमे दिनाक 28 12 2011 को दोनो पक्षो को थाना सदर मे बुलाया गया था जिसमे गाव के कुछ मौजिज व्यक्ति व गाव का नम्बरदार आदि आये हुए थे जोकि गाव की सभी बिरादरियो से आये हुए थे जब थाना सदन करनाल मे उक्त झगडा बारे पचायत चल रही थी तो उस समय पचायत मे सभी बिरादरियो के आदमी इकटठे बैठकर उक्त झगडे के राजीनामा के बारे मे विचार विमर्श कर रहे थे तो तभी अचानक प्रीतम सिह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल अपने आफिस से बाहर पचायत के पास आकर ब्राह्मण जाति के व्यक्तियो को पचायत से अलग एक साईड पर बैठने के लिए कहा और बडे जोर जोर से चिल्लाकर ब्राह्मण जाति के व्यक्तियो को मा बहन की गालिया देने लगा और कहने लगा कि एक एक की गाड मे डण्डा देकर उल्टा लटका दूगा और सभी को झूठे केस मे फसाकर हवालात मे बन्द कर दूगा और गाव के नम्बरदार श्री बृज पाल शर्मा ने ऐसा करने पर विरोध किया तो प्रीतम सिह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल ने कहा कि आ जाते है सफेद कपडे पहनकर और तुझे तो किसी ना किसी झूठे केस मे फसा कर हवालात मे बन्द कर दूगा और साथ ही एक झूठी दरखास्त लिखने बारे दूसरे पक्ष को कहा कि इसके खिलाफ भी एक दरखास्त मुझे दो मै इसको पचायत मे आने का मजा चखाता हूँ और इस पर प्रीतम सिंह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल का विरोध गाव के व्यक्तियो ने किया तो उनके साथ भी गाली गलोच की व डण्डा उठाकर मारने के लिए भागा।

4 यह है कि उक्त प्रीतम सिह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल राजबीर शर्मा पर नाजायज दबाव डालकर एक फर्जी राजीनामे पर दस्तक कराने की कोशिश की गई और राजबीर शर्मा के मना करने पर राजबीर शर्मा पर 107/151 का चालान करके अन्दर कर दिया गया। इसके साथ उसने यह भी धमकी दी कि जब तक मै थाना सदर करनाल मे एस एच ओ रहूगा तो उक्त झगडे वाले बाडे की तरफ देखने की भी कोशिश की तो तुम्हारी आखे निकाल लूगा और तुम्हे किसी सगीन जुर्म मे फसा कर जेल की हवा खिला दूगा।

5 यह है कि उक्त प्रीतम सिह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है और गरीब व्यक्ति के बाडे पर नाजायज कब्जा करवाना चाहता है।

अत जनाब से प्रार्थना है कि उक्त दोषी प्रीतम सिह सैनी एस एच ओ थाना सदर करनाल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे। और प्रार्थीगणो को इन्साफ दिलवाया जावे ताकि भविष्य मे किसी निर्दोष व पचायत के मौजिज व्यक्तियो को बेईज्जत ना किया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण

हस्ता०/

श्री ब्रजपाल नम्बरदार तथा 6 अन्य निवासी

गाव अन्धेडा तहसील व जिला करनाल।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 11 01 2012 and the Committee orally examined Sh Pritam Singh SHO Karnal on 11 01 2012 and 18 02 2012 and he has submitted his written reply to the Committee which is as under —

' थाना सदन करनाल जिला करनाल

राज्य द्वारा अनिल कुमार खनन अधिकारी खान एव भू गर्भ विभाग पानीपत।

बनाम मोनु @ मोहन लाल पुत्र नकली राम जाति गुज्जर वासी कैलाश सदर करनाल।

मु०न० 11 दिनाक 3/1/2012 धारा 4(1) 4(1)A 21 Mining Act 1957 323 332 353 186 506 IPC PS SADAR KARNAL

हालात मुकदमा

श्रीमान जी

सक्षिप्त हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनाक 17 11 11 को एक दरखास्त थाना मे प्राप्त हुई जिसका मजबून जेल है। प्रेषक खनन अधिकारी खान एव भू गर्भ विभाग पानीपत सेवा मे थाना प्रबन्धक थाना सदर करनाल यादि क्रमाक खनन/रेता SPL III दिनाक 3 1 2012 विषय रेता का अवैध ख I I करके आयात करने बारे। श्रीमान जी उपरोक्त विषय के सदर्भ मे आपको सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाक 15 5 2009 के अनुसार दिनाक 28 2 2010 से ही सम्पूर्ण जिला करनाल मे रेत खनन पर प्रतिबन्ध है। इसी सदर्भ मे आज दिनाक 3 1 2012 को मै खनन निरीक्षक व जिले सिह (खनन रक्षक) मय सरकारी गाडी नम्बर HR 68 5914 जिसको मै खुद चला रहा था और गाव कैलाश जिला करनाल के क्षेत्र मे निरीक्षण पर था तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि जय पाल S/o दिवान चन्द निवासी टपराना व मोनू S/o नकली राम निवासी गाव कैलाश अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालिया मे टपराना गाव के साथ लगते बरसाती नाले से अवैध रूप रेत खनन करके रेत को बेचने के लिए करनाल की तरफ जा रहे है यदि गाव कैलाश के पास पक्की सडक पर नाका बदी की जाए तो दोनो ट्रैक्टर ट्राली रेत सहित पकडे जा सकते है इस सूचना पर मैने अपने विभाग के खनन रक्षक (जिले सिह) को साथ लेकर गाव कैलाश के पास नाका बदी की जो नाका बदी के दौरान टपराना साईड से दो ट्रैक्टर ड्राईवर अपनी ट्रालियो मे रेत भरा हुए आता दिखाई दिए नजदीक आने पर जि ाको मैने रुकने का ईशारा किया को आगे वाले ट्रैक्टर ड्राईवर ने मेरे इशारे की पालना करके रोक लिया तथा दूसरे ट्रैक्टर ड्राईवर ने मेरे इशारे की पालना ना करते हुए साथ मे लगते डेरे मे अपना ट्रैक्टर ले जाकर ट्राली रेत को खाली कर दिया इसके बाद मैने पहले वाले ट्रैक्टर के ड्राईवर का नाम व पता पूछा तो ड्राईवर ने अपना नाम जयपाल S/o दिवान चन्द निवासी टपराना बतलाया। इसके बाद मैने ड्राईवर को अपनी ट्राली मे भरे रेत के साक्ष्य के बारे पूछा को वह कोई साक्ष्य पेश ना कर सका जो उपरोक्त ट्रैक्टर ट्राली व चालक को जेर निगरानी खनन रक्षक जिले के हवाले करके उसके बाद मै खनन रिरीक्षक पास मे लगते उस डेरे पर पहुँचा जहा पर दूसरा ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ट्राली को भगा डेरे पर ले गया था। मैने ट्रैक्टर चालक का नाम पता पूछा तो उसने आपना नाम मोनू S/o नकली राम जाति गुर्जर निवासी गाव कैलाश बतलाया जो ट्राली मे भरकर लाए रेत बारे कोई साक्ष्य पेश नही कर सका और मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया और गाली गलौच करने लगा और डेरे पर मौजूद 2 3 औरतो व 2 3 नौजवान युवको ने मेरे साथ हाथापाई की और सरकारी कार्य मे बाधा डाली। मै वहा से अपनी जान बचा कर अपनी गाडी के पास वापिस आ गया जो ट्रैक्टर चालक मय ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी हुई को साथ लाकर आपको पेश किए है। अत सोनू चालक व जयपाल चालक उपरोक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की उल्लघना करके खान एव खनिज (D&R) 1957 की धारा 4(1) व 4(1)A व धारा 21 की उल्लघना की

है तथा सोनू चालक व उसके परिवार के सदस्यो ने सरकारी कार्य मे बाधा डाली व मेरे को जान से मारने की धमकी दी है अत आपसे अनुरोध है कि दरखास्त पर कार्यवाही की जाए। SD ANIL KUMAR (M I) 3 1 12 कार्यालय खनन अधिकारी खान एव भू गर्भ विभाग पानीपत Mob No 9466941041 अज थाना हस्ब आमद दरखास्त उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर मु० न० 11 दिनाक 3 1 12 धारा 4(1) 4(1)A 21 MINING ACT 1957 323 332 353 186 506 IPC PS SADAR दर्ज रजि करके तफतीश ASI प्रेम सिह द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने तफतीश नकशा मौका तैयार किया गया गवाहो के ब्यान अकित किये गये । मुकदमा हजा मे सबुत काबले गि० गुजरने पर दोषियान उपरोक्त को हस्ब जाप्ता गि० किया गया जाकर पेश अदालत किया गया है जो अदालत से जमानत पर है मुकदमा हजा मे दोषी के परिवार के दो औरते वा दो आदमियो द्वारा भी M I के साथ बदतमीजी की गई वा सरकारी डयूटी मे बाधा डालने बारे लिखित रूप मे MI ने दिया हुआ है जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। ये लोग शिकायते इस लिए करते है कि पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी ना हो और उनके रेत चोरी करने मे पुलिस वा प्रशासन कोई बाधा ना डाले।

हस्ता० /
प्रबधक अफसर
थाना सदन करनाल
दिनाक 18 1 2012

रोवा गे

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
Petition Committee Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

विषय **परिवाद श्री बृजपाल वासी अन्धेड़ा बारे उत्तर।**

श्रीमान जी

परिवाद श्री बृजलाल वासी अन्धेडा द्वारा दी गई परिवाद के पैरा न० 1 व 2 ठीक है।

पैरा न० 3 के बारे मे राजबीर पुत्र लाल सिह कोम शर्मा वासी अन्धेडा जिला करनाल ने बर खिलाफ पवन कुमार पुत्र हुक्म सिह बबली पत्नी रामफल रामफल पुत्र हुक्म सिंह रूपा पत्नी धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र पुत्र हुक्म सिह व अनिल पुत्र पवन कुमार अकवान झिमर वासी अन्धेडा बाबत करने मारपीट वा बाडे के बटोडे को उखाड कर फैक देने बारे वा एक दरखास्त पवन कुमार पुत्र हुक्म सिह झीमर वासी अन्धेडा जिला करनाल ने बर खिलाफ अजय दीपक पुत्र लाल सिह व उसकी पत्नी रानी अकवा पडित वासीयान अधेडा बाबत जमीन पर कब्जा करने बारे दी थी जिसकी दरियाफ्त दिनाक 28 12 11 को एच सी सुरेन्द्र कुमार 454 द्वारा अमल मे लाई गई थी। जो दोनो पक्षो को थाना मे बुलाया गया था। जब एच सी सुरेन्द्र न० 454 दोनो पक्षो को आपस मे बातचीत करने के लिए कह गया था जो दोनो पक्ष दौराने बातचीत मे आपस मे ऊची आवाज मे बोल कर एक दूसरे को गाली गलौच कर रहे थे और लडाई झगडा करने बारे उतारू हो रहे थे तो थाने के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोमदत ने मन SI/SHO को बतलाया कि दोनो पक्ष एक दूसरे कि गिरेबान हो रहे है तो मन SI/SHO ने दोनो पक्षो के बीच जाकर समझाया था दोनो पक्षो को शात किया था और दोनो पक्षो से बात पूछी तो पवन पक्ष ने कहा कि हमारे बुर्जुगो ने इनके बुर्जुगो को इस प्लाट के पैसे दे रखे है और कहा कि हमारा बुर्जुग मर चुका है परन्तु इनका जिन्दा है उससे पूछ लिया जाए कि पैसे दे रखे है या नहीं तो राजबीर पक्ष से ही एक व्यक्ति ने कहा कि उसने पूछा था पैसे तो जरूर आए हुए है जो सारी बात की नजाकत को देखते हुये मैने दोनो पक्षो को दो दो सालस चुनने की हिदायत दी थी की ताकि

विवादित विषय पर समझौता हो सके। दोनो पक्षो ने लिखित मे अपने अपने पक्ष के दो दो सालस चुने थे जब सालस अपने फैसले के लिए बातचीत करने के लिए चले गये तो राजबीर पक्ष के आदमी श्री बृजपाल वासी अन्धेडा वा वकील सिह वासी अन्चैला अपने पक्ष को लेकर थाने से चले गये जब सालसो ने देखा कि राजबीर पक्ष चला गया है तो सालसो ने लिखित रूप मे दिया था जो जैल है दोनो पक्षो ने पचायत की सहमति से हम उपरोक्त व्यक्ति दोनो पक्षो ने अपने-अपने सालस चुने थे जब हम आपस मे फैसले से सम्बन्धित बातचीत कर ही रहे थे कि राजबीर पक्ष के पचायती उठ कर चले गये और कह कर चले गये कि हम यह फैसला नहीं मानते और यह भी कह रहे थे पुलिस जो कार्यावाही करेगी उसको भी देख लेगे । इस बात पर हम दोनो पक्ष निरस्त होते है और पुलिस जो कार्यावाही करे कर सकती है। दौराने दरियाफ्त दरखास्त फौर नुक्शे अमन की सुरत पाई जाकर प्रथम पक्ष के पवन कुमार पुत्र हुक्म सिह झिमर वासी अन्धेडा जिला करनाल की जेर धारा 107/151CRPC मे वा अनिल कुमार पुत्र पवन कुमार कौम झिमर वासी अन्धेडा वा दूसरे पक्ष के राजबीर सिह पुत्र लाल सिह कौम पडित वासी अन्धेडा करनाल वा अक्षय कुमार पुत्र राजबीर कौम पडित वासी अन्धेडा जिला करनाल HC SURENDER KUMAR 454 ने निवारक कार्यावाही अमल मे लाई गई थी कलन्दरा दिनाक 28 12 2011 की फोटोकापी वा सालसो द्वारा लिखित सालिसनामा की छाया प्रतिया सलग्न की गई है।

मैने किसी एक बिरादरी को या बृजपाल शर्मा को कोई बिरादरी के बारे मे कोई गालिया नहीं दी।

पैरा न० 4 के बारे मैने राजबीर शर्मा आदि पर कोई दबाव नहीं दिया क्योकि जब निवारक कार्यवाही हो चुकी हो तो फैसला लेने मे पुलिस सक्षम ही नहीं है।

पैरा न० 5 के बारे यह है कि मै किसी पक्ष को पहले से जानता ही नही था और बृजपाल शर्मा के कहने अनुसार दोनो पक्षो को 31 12 11 को बुलवाया था जिनकी आपस मे सहमति भी कराई गई थी और यह सहमति भी जैसे बृजपाल शर्मा चाहता था वैसे हुई थी।

अत मेरी इसमे कोई गलती नहीं है। कृपया परिवाद दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हस्ता/
SI प्रीतम सिह सैनी
तत्कालीन प्रबन्धक अफसर
थाना सदर करनाल।
दिनाक 18 2 2012

सेवा मे

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
Petition Committee Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

विषय परिवाद श्री मोनू वासी कैलाश बारे उत्तर।

श्रीमान जी

परिवाद अजाने मोनू के सम्बन्ध मे निवेदन है कि दिनाक 3 1 12 को एक दरखास्त थाना मे प्राप्त हुई जिसका मजबून जैल है। प्रेषक खनन अधिकारी खान भू गर्भ विभाग पानीपत सेवा मे थाना प्रबन्धक थाना सदर करनाल यादि क्रमाक खनन/रेत/SPL 3 दिनाक 3 1 2012 विषय रेता का अवैध खनन करके आयात करने बारे। श्रीमान जी उपरोक्त विषय के सदर्भ मे आपको सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय

के आदेश दिनाक 15 5 2009 के अनुसार दिनाक 28 2 2010 से ही सम्पूर्ण जिला करनाल मे रेत खनन पर प्रतिबन्ध है। इसी सदर्भ मे आज दिनाक 3 1 2012 को मै खनन निरीक्षक व जिले सिह (खनन रक्षक) मय सरकारी गाडी नम्बर HR 68 5914 जिसको मै खुद चला रहा था और गाव कैलाश जिला करनाल के क्षेत्र मे निरीक्षण पर था तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि जय पाल पुत्र दिवान चन्द निवासी टपराना व मोनू पुत्र नकली राम निवासी गाव कैलाश अपने-अपने ट्रैक्टर ट्राली मे टपराना गाव के साथ लगते बरसाती नाले से अवैध रूप रेत खनन करके रेत को बेचने के लिए करनाल की तरफ जा रहे है। यदि गाव कैलाश के पास पक्की सडक पर नाकाबन्दी की जावे तो दोनो ट्रैक्टर ट्राली रेत सहित पकडे जा सकते है इस सूचना पर मैने अपने विभाग के खनन रक्षक (जिले सिह) को साथ लेकर गाव कैलाश के पास नाकाबन्दी की जो नाका बन्दी के दौरान टपराना साईड से दो ट्रैक्टर ड्राईवर अपनी ट्रालियो मे रेत भरा हुआ आता दिखाई दिए नजदीक आने पर जिनको मैने रुकने का इशारा किया को आगे वाले ट्रैक्टर ड्राईवर ने मेरे इशारे की पालना करके रोक लिया तथा दूसरे ट्रैक्टर ड्राईवर ने मेरे इशारे की पालना ना करते हुए साथ मे लगते डेरे मे अपना ट्रैक्टर ले जाकर ट्राली रेत को खाली कर दिया इसके बाद मैने पहले वाले ट्रैक्टर के ड्राईवर का नाम व पता पूछा तो ड्राईवर ने अपना नाम जयपाल पुत्र दीवान चन्द वासी टपराना बतलाया इसके बाद मैने ड्राईवर को अपनी ट्राली से भरे रेत के साक्ष्य के बारे पूछा को वह कोई साक्ष्य पेश ना कर सका जो उपरोक्त ट्रैक्टर ट्राली व चालक को जेर निगरानी खनन रक्षक जिले के हवाले करके उसके बाद मे खनन निरीक्षक पास मे लगते उस डेरे पर पहुचा जहा पर दूसरा ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ट्राली को भगा डेरे पर ले गया था मैने ट्रैक्टर चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोनू पुत्र नकली राम जाति गुर्जर निवासी गाव कैलाश बतलाया जो ट्राली मे भर कर लाए रेत बारे कोई साक्ष्य पेश नही कर सका और मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया और गाली गलोच करने लगा और डेरे पर मौजूद 2 3 औरते व 2 3 नौजवान युवको ने मेरे साथ हाथा पाई की और सरकारी कार्य मे बाधा डाली। मै वहा से अपनी जान बचा कर अपनी गाडी के पास वापस आ गया जो ट्रैक्टर चालक मय ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी हुई को साथ लाकर आपको पेश किए है। अत सोनू चालक व जयपाल चालक उपरोक्त ने माननीय न्यायालय के आदेशो की उल्लघना करके खान एव खनिज (D&R) 1957 की धारा 4(1) व 4(1)A व धारा 21 की उल्लघना की है तथा सोनु चालक व उसके परिवार के सदस्यो ने सरकारी कार्य मे बाधा डाली व मेरे को जान से मारने की धमकी दी है अत आपसे अनुरोध है कि दरखास्त पर कार्यवाही की जाए। SD ANIL KUMAR (M) 3 01 12 कार्यालय खनन अधिकारी खान एव भू गर्भ विभाग पानीपत Mob No 9466941041 जिस पर मुकदमा न0 11 दिनाक 3 1 2012 धारा 4(1) 4(1) 21 MINIG ACT 1957 323 332 353 186 506 IPC PS SADAR KARNAL दर्ज रजि करके तफ्तीश ASI प्रेम सिह द्वारा अमल मे लाई और नक्शा मौका तैयार किया गया। गवाहो के ब्यान अकित किये गये। मुकदमा हजा मे सबुत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पर दोषीयान मोनू परिवादी व जयपाल उपरोक्त को हस्ब जाप्ता गिरफ्तार किया गया है। जो अदालत से जमानत पर है मुकदमा हजा मे दोषी के परिवार की दो औरते वा दो आदमियो द्वारा भी M। के साथ बदतमीजी की गई वा सरकारी डयूटी मे बाधा डालने बारे लिखित रूप मे MI ने दिया हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। ये लोग शिकायते इस लिए करते है कि पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी ना हो और उनके रेत चोरी करने मे पुलिस / प्रशासन व खनन विभाग कोई बाधा ना डाले और परिवाद मे पैसे मागने का आरोप बिल्कुल निराधार है। परिवादी मोनू के साथ पुलिस द्वारा कोई मारपीट या गलत बर्ताव नही किया गया। खनन अधिकारी अनिल कुमार खान भू गर्भ विभाग पानीपत द्वारा दी हुई शिकायत व मु० न० 11 दिनाक 3 1 12 थाना सदर करनाल व मोनू की GH करनाल से कराई गई डाक्टरी की फोटो प्रतियॉ साथ सलग्न है।

अत मेरी इसमे कोई गलती नहीं है। कृपा परिवाद दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हस्ता०/

SI प्रीतम सिह सैनी

तत्कालीन प्रबधन अफसर

थाना सदर करनाल।

The Committee called the petitioners and Sh Pritam Singh Ex SHO Police Station Indri on 16 05 2012 06 06 2012 13 06 2012 04 07 2012 31 10 2012 and 22 11 2012 for their oral examination Sh Brij Pal petitioner appeared before the Committee only on 13 06 2012 and 04 07 2012 On his request time was given by the Committee for settlement of grievances between the parties Sh Pritam Singh was also transferred from Police station Indri firstly to HAP Madhuban and then Police station Sadar Thanesar He was to retire on 30 11 2012 He was cross examined by the Committee He has apologized before the petitioners and the Committee also The petitioners were called but they did not appear before the Committee despite notices to them The Committee also observed that legal remedy is available to the petitioners and they can file a criminal complaint or FIR according to criminal law However the Committee desired that last notice be sent to the petitioners for their oral examination in its meeting held on 31 10 2012 The Committee in its meeting held on 22 11 2012 observed as under —

> On the last two hearings petitioners have been called in person for examination and for prosecution of their complaints In spite of the notices no body has appeared It looks that they are not interested in pursuing their complaints Hence all the complaints are dismissed Copy of these orders may be sent to the DGP Haryana IG Karnal SP Karnal SP Kurukshetra

---

9 PETITION RECEIVED FROM SH KULWANT SINGH S/O SH SAWAG SINGH, VILL KHIJRA BAD TEHSIL ASSAND, DISTT KARNAL REGARDING COMPLAINT AGAINST SH PRITAM SINGH SAINI, SHO, ASSAND AT PRESENT POSTED AT INDRI

The Petition received from Sh Kulwant Singh S/o Sh Sawag Singh Vill Khijra Bad Tehsil Assand Disstt Karnal reads as under

सेवा मे

माननीय चेयरमैन साहब
पैटिशनज कमेटी हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय दरखास्त बरखिलाफ एडीशल एस एच ओ प्रीतम सिह सैनी थाना असध द्वारा झूठा केस बनाकर नाजायज दग करने व बीस हजार रुपये हड़पने बाबत।

श्रीमान जी

प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है

1 यह है कि मै कुलबन्त सिह पुत्र श्री सवेग सिह निवासी गाव खिजराबाद तहसील असध

करनाल का रहने वाला हू और खेती बाडी का काम करता हू और अपने परिवार का भरण पोषण करता हू।

2 यह है कि दिनाक 6 4 2011 की शाम को एस एच ओ साहब थाना असध ने अपनी टीम के साथ मेरे घर पर रेड की थी और वहा पर करीब 15 किलो लाहण पकडा गया था। बाद मे पुलिस ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे घर से 2 किलो बूकी (चूरा पोस्त) बरामद हुआ है या तो मै तेरा 5 किलो बूकी (चूरा पोस्त) बरामद करने का चालान कर दूगा।

3 यह है कि इस बाबत बात करने के लिए जब गाव के मौजिज व्यक्ति थाने मे गये तो उन्होने एस एच ओ साहब असध को समझाया कि कुलवन्त सिह बुकी का काम नहीं करता आप इसकी शराब पकडे जाने का चालान कर दो। इस पर एस एच ओ साहब ने कहा कि ठीक है आप कुलवन्त सिह को थाने मे पेश कर दो मै इसका शराब पकडे जाने का ही चालान कर दूगा।

4 यह कि मै थाने मे पेश हुआ तो एस एच ओ साहब ने मुझे वही बैठा लिया और बाकी आदमियो को घर भेज दिया। उसके बाद एस एच ओ साहब ने मुझसे कहा कि 2 किलो बुकी मे तुम्हारी जमानत नही होगी और अगर तुम मुझे 20 हजार रुपये दे दो तो मै तेरे खिलाफ 450 ग्राम बुकी का चालान कर दूगा और तुम्हारी जमानत आसा ी से हो जायेगी।

5 यह कि मैने अपने आपको इस झूठे केस से बचाने के लिए अपने चाचा अग्रेज सिह पुत्र जरनैल सिह को फोन करके रात को ही 20 हजार रुपये मगवाकर एस एच ओ साहब को दिये और एस एच ओ ने मेरी 480 ग्राम बुकी का चालान कर दिया और अगले दिन कोर्ट से मेरी जमानत हो गई।

6 यह कि इस प्रकार एस एच ओ साहब थाना असध ने मुझे बुकी पकडे जाने के केस मे झूठा फसा कर मेरे से 20 हजार रुपये ऐठ लिये जबकि मुझे पता लगा है कि दिनाक 6-4 2011 को एस एच ओ साहब ने वार्ड न0 2 असध मे रानी नामक महिला के घर पर रेड की थी और वहा से 2 किलो बुकी 2 पेटी देसी शराब बरामद की थी और उस वक्त छिन्दा सिह पुत्र करनैल सिह निवासी खिजराबाद रानी को बूकी देने के लिए उसके घर आया हुआ था और उसको भी पुलिस ने मौका पर पकड लिया था लेकिन पुलिस ने रिश्वत लेकर रानी और छिन्दा दोनो को छोड दिया और उनके पास पकडी गई बूकी का इल्जाप मेरे ऊपर लगा दिया।

7 यह कि दिनाक 12 4 2011 को भी एस एच ओ साहब के फोन नम्बर 8930302020 से मेरे घर फोन आया उन्होने मुझे कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना ही किसी अफसर के पास जाना। मेरी सेवा करते रहे और अपना काम आसानी से करते रहो।

अत श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि इस बारे मे पूरी जाच पडताल करवाकर दोषीयो को सजा दिलवाई जाये और मुझे मेरे 20 हजार रुपये वापस दिलवाये जाये और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक कदम उठाते हुए मुझे इस झूठे केस से निकलवाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 18 02 2012

Sh Pritam Singh Ex SHO Police Station Indri submitted his reply attaching therewith inquiry report of DSP Assandh which reads as under —

सेवा मे

श्रीमान अध्यक्ष महोदय

Petition Committee Haryana Vidhan Sabha Chandigarh

विषय **परिवाद कुलवन्त सिह पुत्र शुभेग सिह वासी खिजराबाद।**

श्रीमान जी

निवेदन है कि परिवाद अजाने कुलवन्त सिंह के विषय मे जहा तक मेरे नोटिस मे है पहले भी परिवादी दो तीन शिकायते लिखित मे कर चुका है। जिसका क्रमाक 3783 स्पेशल 6 5 11 व कार्यालय पुलिस महानिरक्षक रोहतक मण्डल से परिवाद क्रमाक न 225/11 U/S 61 1 14 EX ACT PS ASSAND जिसका I/O HC KARMBIR PS ASSAND व मुकदमा न 29/11 U/S15 NOPS ACT PS ASSAND जिसका I/O ASI LAHNA SINGH PS ASSAND है ने दर्ज किए थे और NDPS ACT के नियमा अनुसार ASI LAHNA SINGH मुलजिम व माल मुकदमा आदि को मेरे पेश किया था। जो NDPS ACT के नियमा अनुसार SECOUND SELLING आदि दी थी। जिसमे मेरे शहादत होनी है और मुलजिम मेरे उपर हर राजनैतिक व गैर राजनैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ताकि मै उसके विरुद्ध शहादत ना दु। और मेरे उपर मिथ्या आरोप लगाता है। कुलवन्त सिह द्वारा दी गई परिवादो की जाच की फोटो प्रति जो DSP साहब ने अपनी जाच करके रिपोर्ट भेजी है। उसकी RTI ACT के तहत ली हुई कापिया साथ सलग्न है। जो काबिले मुलाहजा है।

अत मेरे बारे दी हुई शिकायत को फाईल किया जावे।

हस्ता/

SI प्रीतम सिह न 2347 RR
तत्कालीन प्रबधक अफसर
थाना असन्ध करनाल।
वर्तमान 4th Batlian
HAP MBN

श्रीमान जी

निवेदन है कि आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक 3783 स्पैशल दिनाक 06 05 11 व कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रोहतक मण्डल रोहतक की परिवाद क्रमाक 207 पेशी दिनाक 13 4 11 श्री कलवन्त सिह पुत्र सबेग सिंह वासी खिदराबाद की जाच की गई परिवादी कुलवन्त सिह अग्रेज सिह पुत्र जरनैल सिह रानी पत्नी सुबेग सिह जसविन्द्र उर्फ छीन्दा पुत्र करनैल सिंह कशमीर सिह पुत्र जयमल सिह उप नि

प्रीतम सिह तत्कालीन प्रबन्धक धाना असध स उ नि लहणा सिह स उ नि सतीश प्र सिपाही कर्मबीर सिपाही रविकुमार व म सिपाही प्रवीण लता के कथन अंकित किये गये जो साथ सलग्न है।

जाच के समय परिवादी कुलवन्त सिह ने अपने कथन मे अकित करवाया कि दिनाक 06 04 11 को उसके घर से एक ड्रम लाहण पकडा गया था जिस पर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर दिया था। जिससे बचने के लिए वह प्रबन्धक थाने के पास आदमी भेजता रहा था परन्तु प्रबन्धक थाना ने उनको उसे पेश करने बारे कहा तो दिनाक 10 04 11 को वह थाना मे पेश हुआ। पेश होने पर प्रबन्धक थाना ने पुछा कि क्या आप रानी नाम की औरत के पास आते जाते हो जिस पर उसने कहा कि हा व दिनाक 06 04 11 को भी वह रानी के पास गया था व बाद मे बाजार चला गया था जिस पर प्रबन्ध थाना ने कहा कि दिनाक 06 04 11 को रानी के घर से आधा किलो चुरा पोस्त बरामद हुआ था जिस बारे रानी ने बतलाया है कि यह चुरा पोस्त आपका है और प्रबन्धक थाने ने उसके विरुद्ध चुरा पोस्त का मुकदमा दर्ज कर दिया व उसकी कोई बात नहीं सुनी जबकि उसने कहा था कि यह माल उसका नही है। उसके बाद प्रबन्धक थाना ने कहा कि या तो 20 000 रु का इन्तजाम करले वरना 2 किलो चुरा पोस्त का पर्चा दर्ज करेगा जिसमे तेरी जमानत नही होगी जिस पर उसने अपने फोन न 9996790848 से अपने चचेरे भाई के न 9813232186 पर बात करके अपने चाचा अग्रेज सिह से 20 000 रु मगवाए जिस पर उसका चाचा एक पोलथीन मे उसका खाना व पैसे डालकर लाया व उसे दे गया जो बाद मे उसने प्रबन्धक थाना को दे दिए। जो इस प्रकार प्रीतम सिह ने उससे पैसे भी ले लिए व पर्चा भी दर्ज कर दिया। उसे न्याय दिलवाया जाये। अग्रेज सिह ने अपने कथम मे अकित करवाया है कि दिनाक 10 04 11 को समय करीब 7 30/7 45 बजे शाम कुलवन्त ने उससे फोन पर बात करके बतलाया कि वह शराब के केश मे पकडा गया है व छुटने के लिए 20 000 रु की जरूरत है जिस पर वह शाम का खाना व 20 000 रु पोलथीन मे डालकर कुलवन्त को दे आया था।

श्रीमति रानी पत्नी सुबेग सिह ने अपने कथन मे अकित करवाया है कि उसका पति उसे करीब डेढ साल पहले छोडकर चला गया था व उसके पास एक 3 साल का लडका है जो वह शराब बेचकर अपना व अपने बच्चे का पेट पालती है। दिनाक 06 04 11 को वह शराब ठेका देशी सालवन चौक से 2 पेटी शराब ठेका देशी खरीदकर कटटा प्लास्टीक मे डालकर अपने सिर पर रखकर अपने घर जा रही थी कि जब वह लडकियो के कॉलेज के पास असध पहुची तो सामने पुलिस वाले खडे थे जिस पर वह वापिस मुडकर चलने लगी तो आवाज देकर पुलिस वालो ने उसे रोका व उसका कटटा नीचे उतरवाकर शराब पकड ली व थानेदार ने मुकदमा दर्ज कर दिया जिसका बाद मे उसे नाम सतीश मालूम हुआ जिसके साथ 2 लेडी पुलिस भी थी। जमानती पेश करने पर उसे जमानत पर छोड दिया गया था दिनाक 06 04 11 को उसके घर पुलिस नही आई थी न ही तलासी ली व न ही कुछ बरामद किया गया। कुलवन्त उर्फ कान्ता वासी खिदराबाद जिसे वह पहले से जानती है ने अपने बचाव मे झुठी दरखास्त दी है उसके घर से कोई चुरा पोस्त नही पकडा गया था। जसविन्द्र उर्फ छीन्दा उसका धर्म भाई है उस दिन शाम के समय उसकी शराब पकडे जाने से पहले छीन्दा उसके घर आया था व कुछ देर बाद चला गया था। जसविन्द्र उर्फ छीन्दा ने अपने कथन मे अकित करवाया कि दिनाक 06 04 11 को शाम वह अपनी धर्म बहन रानी के घर गया था व कुछ समय दुख सुख की बतलाकर वापिस चला गया था जहा वह करीब एक घन्टा रहा था। बाद मे उसे पता चला कि रानी की शराब पकडी गई है रानी शराब बेचकर ही अपना पेट पालती है क्योकि उसका पति उसके पास नही रहता। जितनी देर वह रानी के घर रहा वहा पर पुलिस नही आई न रानी के घर की तलाशी ली व न ही कोई बरामदगी वहा से हुई। दिनाक 10 04 11 को कुलवन्त की भुक्की पकडी गई थी जो कुलवन्त ने अपने बचाव मे यह दरखास्त झुठी दी है। कुलवन्त के पास केवल डेढ एकड जमीन है जो

शराब नाजायज व भुक्की वगैरा का धन्धा कर अपना परिवार चलाता है। श्री कशमीर सिह पुत्र जयमल सिह वासी वार्ड 10 असध ने बतलाया कि दिनाक 06 04 11 को शाम के समय वह अपने घर था उसे सन्देशा मिला कि रानी की महिला कॉलेज के पास शराब पकडी गई जो जमानत लेने के लिए उसे बुला रही है जिस पर वह कॉलेज के पास गया जहा पुलिस व रानी उसे मिले जिसने रानी की जमानत ली थी। रानी की शराब उसके घर पर नही पकडी गई थी कुलवन्त ने रानी के घर से चुरा पोसत पकडे जाने बारे बिल्कुल झुठी दरखास्त दी है।

स उ नि लहणा सिह थाना असध ने अपने कथन मे अकित करवाया कि दिनाक 06 04 11 को वह ई एच सी ओमप्रकाश व सिपाही प्रवीण कुमार के साथ गश्त हेतु बस अड्डा खिदराबाद मौजुद था कि मुखबरी हुइ कि कुलवन्त उर्फ कान्ता वासी खिदराबाद अपने मकान के साथ लगते बाड मे शराब नाजायज बनाने का काम करता है यदि रेड किया जावे जो शराब या लाहण मिल सकता है। जिस पर उस द्वारा रेड किया गया तो कन्ता भागने मे सफल हो गया व बाडा मे एक ड्रम लोहा मे 150 कि ग्राम लाहण बरामद हुआ। जिस पर उस द्वारा मु न 225 दिनाक 06 04 11 धारा आबकारी अधिनियम थाना असध दर्ज किया गया। दिनाक 10 04 11 को वह प्र सिपाही कर्मबीर व सिपाही रविकुमार के साथ बराय गश्त रतन चौक पर मौजूद था कि सूचना मिली की कन्ता जो आबकारी के मुकदमा मे भगौडा है जीवन चानन कॉलेज के पास खिदराबाद मोड पर खडा है। जिस पर उस द्वारा उक्त स्थान पर रेड किया गया तो कन्ता वहा मिला जिसे काबु किया गया जिसके हाथ मे एक पोलथीन था जिसमे कोई नशीली वस्तु होने का शक होने पर उस द्वारा NDPS Act के नियमो अनुसार कार्यवाही करते हुए उसकी तलासी ली तो 480 ग्राम चुरा पोस्त उस पोलीथीन से बरामद हुआ जिस पर कन्ता के विरुद्ध मु न 229 दिनाक 10 04 11 धारा NDPS Act थाना असध दर्ज कर उसे आबकारी के मुकदमा मे भी गिरफतार किया गया। लहणा सिंह द्वारा कुलवन्त के पास दिनाक 06 04 11 को कोई फोन नही किया गया व न ही चुरा पोस्त के मुकदमा मे फसाने की धमकी दी गई व उस दिन न ही उसके घर से कोई चुरा पोस्त बरामद हुआ था। दिनाक 06 04 11 व 10 04 11 के बीच कुलवन्त उसके व प्रबन्धक थाना के पास जनता के आदमी भेजता रहा जो कहते थे कि पैसे ले लो व कन्ता व लाहण का मुकदमा रफा दफा कर दो जिस पर उसने स्पष्ट कह दिया था कि उसके विरुद्ध मामला दर्ज हो चुका है उसे पेश कर दो। यह बात गलत है कि दिनाक 10 04 11 को कुलवन्त थाना मे पेश हुआ था बल्कि उपर दर्शाए अनुसार चुरा पोस्त सहित उसे खिदराबाद मोड से काबु किया गया था व उसी समय मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। दिनाक 10 04 11 को थाना मे कुलवन्त का खाना लेकर कोई नही आया था बल्कि उसको खाना थाना के मैस से दिया गया था। उस द्वारा रानी नामक महिला के घर पर न तो रेड किया गया व न ही कोई बरामदगी की गई। उसे इतना जरूर पता है कि दिनाक 06 04 11 को स उ नि सतीश द्वारा रानी को महिला कॉलेज के पास 2 पेटी शराब सहित उस समय काबु करके जब वह ठेका से शराब खरीद कर अपने घर ले जा रही थी काबु करके मुकदमा दर्ज किया था। परिवाद मे लगाए गए आरोप निराधार है। प्र सि कर्मबीर सिपाही रविकुमार ने अपने ब्यान मे स उ नि लहणा सिह के ब्यान के उस हिस्सा की पुष्टि है जो दिनाक 10 04 11 को दर्ज मु न 229/11 से सम्बन्धित है।

उप नि प्रीतम सिह प्रबन्धक थाना निसिग ने अपने कथन मे अकित करवाया कि दिनाक 10 04 11 को वह प्रबन्धक थाना असध नियुक्त था कि शाम के समय स उ नि लहणा सिह थाना असध ने दोषी कुलवन्त पुत्र छबेग सिह जट सिख वासी खिदराबाद व 480 ग्राम चुरा पोस्त उसके सामने उसके कार्यालय मे पेश करते हुए इस सम्बन्ध मे दर्ज मु न 229/11 के हालात बतलाए थे जिस पर तसदीक उपरान्त उस द्वारा माल मुकदमा पर अपनी मोहर लगाई गई थी। दिनाक 06 04 11 को रानी वासी असध के घर कोई

वस्तु बरामद नही हुई थी इस दिन स उ नि सतीश द्वारा रानी के कब्जा से 2 पेटी शराब जीवन चानन कॉलेज के पास से उस समय बरामद की गई थी जब वह ठेका से खरीद कर बेचने के लिए अपने घर ले जा रही थी जिस सम्बन्ध मे सतीश द्वारा मुकदमा ने 226/11 दर्ज किया गया था। उसी दिन स उ नि लहणा सिह द्वारा मुखबरी मिलने पर कुलवन्त के घर रेड करके 150 कि ग्राम लाहण बरामद किया गया था परन्तु कुलवन्त फरार हो गया था। कुलवन्त ने यह परिवाद अपने बचाव मे व अधिकारियो को गुमराह करने के लिए रानी के घर से चुरा पोस्त बरामद होने के झुठे आरोप लगाकर दी है। दिनाक 06 04 11 व 10 04 11 तक कुलवन्त सिह जनता के आदमी उसके पास भेजता रहा है कि पैसे लेकर लाहण के केश को रफा दफा कर दो परन्तु उसने एसा नही किया इसीलिए उस पर 20 000 रु लेने का आरोप लगा कर यह झुठी दरखास्त दी है।

स उ नि सतीश थाना असध ने अपने कथन मे अकित करवाया कि दिनाक 06 04 11 को वह सिपाही राकेश कुमार म सि प्रवीणलता व म सि रीना रानी के साथ गश्त पर खिदराबाद मोड नजदीक जीवन चानन महिला कॉलेज असध मौजूद था कि कस्बा असध का तरफ से एक नोजवान औरत अप्ने सिर पर कटटा प्लास्टिक रखे हुए आई व सामने पुलिस को देख कर वापिस जा्ने लगी जिसको काबु करके कटटा को चैक किया तो उसमे 2 पेटी शराब ठेका देशी बरामद हुई व पुछने पर उसने अपना नाम रा्नी देवी छबेग सिंह मजहबी सिख वासी वार्ड 1 असध बतलाया। जिस पर उस द्वारा मु न 226 दिनाक 06 04 11 धारा आबकारी अधिनियम थाना असध दर्ज किया गया व उस द्वारा अपना जमानती पेश करने पर उसकी जमानत ली गई थी। उस दिन रानी के घर नही गया न तलासी ली व न ही कोई बरामदगी उसके घर से की गई। परिवाद मे ये आरोप झुठे लगाए गए है। सिपाही रीना रानी ने भी अपने कथन मे उक्त ब्यान की पुष्टि की है।

निष्कर्ष

जाच मे पाया गया कि दिनाक 06 04 11 को स उ नि लहणा सिह ई एच सी ओमप्रकाश व सिपाही प्रवीण कुमार के साथ गश्त हेतु बस अडडा खिदराबाद मौजुद था कि मुखबरी हुई कि कुलवन्त उर्फ कन्ता वासी खिदराबाद अपने मकान के साथ लगते बाडा मे शराब नाजायज बनाने का काम करता है यदि रेड किया जावे तो शराब या लाहण मिल सकता है। जिस पर उस द्वारा रेड किया गया तो कन्ता भागने मे सफल हो गया व बाडा मे एक ड्रम लोहा मे 150 कि ग्राम लाहण बरामद हुआ। जिस पर उस द्वारा मु न 225 दिनाक 06 04 11 धारा आबकारी अधिनियम थाना असध दर्ज किया गया। इसी दिन स उ नि सतीश सिपाही राकेश कुमार म सि प्रवीणलता व म सि रीना रानी के साथ गश्त पर खिदराबाद मोड नजदीक जीवन चानन महिला कॉलेज असध मौजूद था कि कस्बा असध की तरफ से एक नोजवान औरत अपने सिर पर कटटा प्लास्टीक रखे हुए आई व सामने पुलिस को देख कर वापिस जाने लगी जिसको काबु करके कटटा को चैक किया तो उसमे 2 पेटी शराब ठेका देशी बरामद हुई व पुछने पर उसने अपना नाम रानी देवी पत्नी छबेग सिह मजहबी सिख वासी वार्ड 1 असध बतलाया। जिस पर उस द्वारा मु न 226 दि्नाक 06 04 11 धारा आबकारी अधिनियम थाना असध दर्ज किया गया व उस द्वारा अपना जमानती पेश कर्ने पर उसकी जमानत ली गई थी। दिनाक 10 04 11 को स उ नि लहणा सिह प्र सिपाही कर्मबीर व सिपाही रविकुमार के साथ बराय गश्त रतक चौक पर मौजूद था कि सूचना मिली की कन्ता जो आबकारी के मुकदमा मे भगौडा था जीवन चानन कॉलेज के पास खिदराबाद मोड पर खडा है। जिस पर उस द्वारा उक्त स्थान पर रेड किया गया तो कन्ता वहा मिला जिसे काबु किया गया जिसके हाथ मे एक पोलथीन था जिसमे कोई

नशीली वस्तु होने का शक होने पर उस द्वारा NDPS Act के नियमो अनुसार कार्यवाही करते हुए उसकी तलासी ली तो 480 ग्राम चुरा पोस्त उस पोलीथीन से बरामद हुआ जिस पर कन्ता के विरुद्धा मु न 229 दिनाक 10 04 11 धारा NDPS Act थाना असध दर्ज कर उसे आबकारी के मुकदमा मे गिरफ्तार किया गया। कुलवन्त के विरुद्ध आबकारी का मुकदमा दर्ज होने से लेकर गिरफ्तार होने तक वह जनता के आदमी भी प्रब धक थाना व स उ नि लहणा सिह के पास भेजता रहा कि पैसे ले लो व लाहण वाला मामला रफा दफा कर दो।

जाच से चुरा पोस्त दिनाक 06 04 11 को रानी के घर से बरामद होना नही पाया गया बल्कि दिनाक 10 04 11 को कुलवन्त के कब्जा से ही बरामद होना पाया गया व जब मौका पर 480 ग्राम चुरा पोस्त बरामद करके मुकदमा वही पर दर्ज कर दिया गया था तो प्रब धक थाना द्वारा 2 किलो मे चालान करने की धमकी देकर 20 000 रु ऐठने वाली बात बनती ही नही। जाच से परिवाद मे लगाए गए आरोप निराधार व असत्य पाए गए जिनमे कोई सच्चाई नही है। मेरे द्वारा इस पत्र मे दिए गए आदेश की पालना मे मु न 229 दिनाक 10 04 11 धारा NDPS Act थाना असध मे जिमनी सख्या 4 अकित की गई है। रिपोर्ट सेवा मे प्रस्तुत है।

हस्ता/
उप पुलिस अधीक्षक
असध 26 05 11

The Committee called the petitioner and Sh Pritam Singh Ex SHO Police Station Indri on 16 05 2012 06 06 2012 13 06 2012 04 07 2012 31 10 2012 and 22 11 2012 for their oral examination Sh Kulwant Singh petitioner appeared before the Committee only on 13 06 2012 Time was given by the Committee for settlement of grievances between the parties Sh Pritam Singh was also transferred from Police station Indri firstly to HAP Madhuban and then Police station Sadar Thanesar He was to retire on 30 11 2012 He was cross examined by the Committee He has apologized before the petitioner and the Committee also The petitioner was called but he did not appear before the Committee despite notices to him The Committee also observed that legal remedy is available to the petitioner and he can file a criminal complaint or FIR according to criminal law However the Committee desired that last notice be sent to the petitioner for his oral examination in its meeting held on 31 10 2012 The Committee in its meeting held on 22 11 2012 observed as under

> On the last two hearings petitioner has been called in person for examination and for prosecution of his complaint In spite of the notices he has not appeared It looks that he is not interested in pursuing his complaint Hence the petititon is dismissed Copy of these orders may be sent to the DGP Haryana IG Karnal SP Karnal SP Kurukshetra

10 PETITION RECEIVED FROM SH B L SETHI, H NO 113, SECTOR 1, HUDA, ROHTAK REGARDING REIMBURSEMENT OF MEDICAL CLAIM – CASE OF SH B L SETHI, DY SUPDT (RETD) GOVT COLLEGE FOR WOMEN, ROHTAK

The Petition received from Sh B L Sethi H No 113 Sector 1 HUDA Rohtak reads as under —

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub **Reimbursement of Medical Claim Case of Sh B L Sethi , Dy Supdt (Retd) Government College for Women, Rohtak**

Sir

Most respectfully I submit as under

1 That I retired as Deputy Superintendent on 30 9 1996 after putting in 37 6 years of service in the Education Department My PPO No is 67639-S/HR

2 That my grand son Master Sidarth Sethi had an attack of Seizure Disorder and he was admitted in PGIMS Rohtak on 22 2 2010 He remained in this hospital till 24-2-2010 Doctors attending on him referred his case to higher centre Thus he was taken to the Max Super Speciality Hospital Patparganj New Delhi for treatment He remained in this hospital from 24 2-10 to 9 3-2010 There being no improvement he was shifted to G B Pant Hospital Delhi He expired on 11 4 2010

3 That I submitted the medical reimbursement bill of Rs 364133/- for sanction to the Principal Government College for Women Rohtak on 4-10 2010 It was sent to the Higher Education Commissioner Haryana Panchkula *vide* No 2491 dated 6 10 2010

4 That this bill was returned to the Principal *vide* his letter 22 23 2010 ME(3) dated 2 12-2010 after two months It also remained pending with the Principal for two months for the reasons best known to him

5 The compliance was made by me and it was again re-submitted to the deptt on 16 3-2011 It remained pending there in the Directorate for three months I got it back after three months My request is why the objections were raised in piece meal just to harass the poor old person The case was again sent to the department *vide* Principal letter No 2716 dated 24-9-2011 The case is still pending and the reason is not known to me My contention is had the objections been raised in

one lot the sanction would have been issued by now It is pending for the last 15 long months

I therefore request your good self to look into the matter personally and direct the Education Department for issuing necessary sacntion at any early date

Thanking you in anticipation

Yours Faithfully

Dated 9 1 2012

Sd/-

(B L Sethi)

House No 113 Sector-1

HUDA Rohtak

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 11 01 2012 and the Committee orally examined the Department on 18 02 2012

The Committee also examined the departmental representative on 14 03 2012 It was informed that the claim of the applicant has been rejected The Committee passed an order that rejection order may be kept in abeyance and the original documents received from Sh B L Sethi were given to the departmental representative The Committee further discussed this matter on 16 05 2012 20 06 2012 and 25 07 2012 On 25 07 2012 the evidence of the petitioner was re corded which has been placed on the file The Committee also discussed this matter on 08 08 2012 26 09 2012 and 10 10 2012 The Committee passed the final order on 25 11 2012 which reads as under —

पैटीशन कमेटी को 9 1 2012 को एक याचिका प्राप्त हुई जिसमे श्री बी एल सेठी जो कि शिक्षा विभाग से उप अधीक्षक के पद से सेवानिवृत हुये है। लिखा कि उनके पोते मास्टर सिद्धार्थ सेठी जिनके ऊपर सीजर डिसऑर्डर का अटैक हुआ और उन्होने विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालो से इलाज करवाया और 11 4 2010 को उनका पौता जो कि माइनर था का देहान्त हो गया। उन्होने मैडिकल रिम्बर्समैट के लिए 3 64 133/ रुपये की राशि का बिल दिनाक 4 10 2010 को स्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग मे दिया लेकिन शिक्षा विभाग ने उनकी प्रार्थना को बहुत लम्बे समय तक लम्बित रखा और समय समय पर विभिन्न आपत्तिया लगाई। इस पैटीशन कमेटी मे समय समय पर विभाग के ऑफिसर्स को बुलाया गया और कमेटी ने डायरेक्टर जनरल हायर ऐजूकेशन तथा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऐजूकेशन से सवालात पूछे। शिक्षा विभाग ने इस केस को इस बिनाह पर मना कर दिया कि सरकार की हिदायतो के मुताबिक माइनर ग्राड चिल्ड्रन को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है जबकि वह सेवानिवृत कर्मचारी पर पूर्णत आश्रित हो। शिक्षा विभाग ने अपने जवाब मे यह भी हवाला दिया कि 1985 की हिदायतो के बारे मे पजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय मे एक रिट फाईल हुई जिसमे 1985 की हिदायतो को चैलैज किया गया था लेकिन सरकार ने लेटैस्ट इन्स्ट्रक्शन्ज दिनाक 18 10 2007 को भी इश्यू की और उसमे यह कहा गया कि माइनर बच्चो को तब तक सुविधा मिलेगी जब तक वे स्वआश्रित नही हो जाते। इस बिनाह के ऊपर कि मास्टर सिद्धार्थ अपने दादा जी पर आश्रित नही था क्योकि उसके पिता श्री सजीव सेठी बतौर कमीशन ऐजेन्ट बिजनेस करते थे। वहा पर यह लिखना भी उचित होगा कि यह सभी कार्यवाही शिक्षा विभाग ने पैटीशन कमेटी के आदेश उपरात की है। उससे पहले कोई उचित कार्यवाही इस सन्दर्भ मे नहीं की गई। कमेटी ने सभी रिकार्ड का अवलोकन किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियो को भी बुलाया। इससे पहले कि कमेटी इस पर कोई फैसला करे अधिकारियो ने यह माना कि प्रार्थी ने मैडिकल एक्सैडीचर क्लेम और इसकी देय राशि के बारे

मे या मैडिकल बिल के बारे मे कोई डिस्प्यूट नही है। राशि देय बनती है लेकिन पोते को श्री बी एल सेठी पर आश्रित न मानते हुए इसका क्लेम नहीं दिया जा सकता। सरकार की सभी हिदायतो का पैटीसन कमेटी ने अवलोकन किया और पाया कि 1985 की हिदायतो का पैटीशन कमेटी ने अवलोकन किया और पाया कि 1985 की हिदायतो के मुताबिक माइनर ग्राड चिल्ड्रन को गुफ्त चिकित्सा सुविधा मे इन्कल्यूड किया गया है। यह बात सत्य है कि सरकार की मशा यह है कि माइनर ग्राड चिल्ड्रन को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कमेटी ने 2007 की हिदायतो का अवलोकन किया तो पाया कि तब तक माईनर ग्राड चिल्ड्रन को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी जब तक यदि वह मेजर भी हो जाता है और जब तक वह स्वआश्रित नही हो जाता है। सरकार की यह मसा हमेसा रही है कि ग्राड चिल्ड्रन को मैडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इसलिए दोनो हिदायतो (1985 और 2007) मे उसको शामिल किया गया है। सरकार की किसी भी हिदायत मे इस बात का उल्लेख नहीं है कि आश्रित माने जाने का पैमाना क्या होगा और यह सगी बाते किस पर निर्भर करती है। देखने की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने किसी भी स्तर पर श्री बी एल सेठी से किसी भी पत्राचार द्वारा नही पूछा कि आपका पोता आप पर आश्रित है या नहीं और न ही विभाग ने उनको कोई शपथ पत्र देने के लिए कहा। रिकार्ड मे आया कि श्री सजय सेठी पुत्र श्री बी एल सेठी प्राइवेट कमीशन ऐजेन्ट का काम करता है और उसकी आमदनी भी कोई ज्यादा नहीं है। यह दर्शाया गया है कि वह साल मे 3 लाख रुपये कमाता है। यदि वह अपने पुत्र के इलाज पर 3 24 165/ रुपये अपनी पूरे साल की कमाई खर्च करता तो यह भी सोचना होगा कि एक साल की सारी कमाई लगाने के बाद वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा ? शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार से इस बिन्दु को क्लैरिफाई करने की कोशिश नही की। रिकार्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं आया कि श्री सजय सेठी किसी जायदाद के मालिक है या नही। जब श्री बी एल सेठी कमेटी के सामने आये तो उन्होने कहा कि वह और उसका बेटा दोनो इकट्ठे रहते है और उनके बेटे की आमदनी बहुत कम है तथा इससे परिवार का गुजारा नही चलता है। उनका पोता उस पर आश्रित है और उनके पुत्र की आमदनी इतनी नही थी कि वह अपने पुत्र के इलाज के लिए इतना पैसा खर्च कर सके। सरकार की पॉलिसी इस तरह की है और जो केसिज होते है उन्ही को देख कर बनती है और जो डिपार्टमैट मे इन्सट्रक्शन्ज होती है उनमे Purpose of the technicalities is to sub serve the justice not to defeat the ends of justice श्री बी एल सेठी के बयान से स्पष्ट होता है कि उसका पोता उसी पर आश्रित था और पोते का सारा खर्चा भी तथा शिक्षा खर्च भी दादा ही वहन करता था। इसलिए यह कमेटी इस निस्कर्ष पर पहुचती है कि मास्टर सिद्धार्थ सेठी पूर्व रिटायर्ड इम्पलाई अपने दादा श्री बी एल सेठी पर आश्रित था और इन्ही बिन्दुओ को नजर मे रखते हुए विभाग को यह फैसला करना चाहिए। हम एक प्रजातान्त्रिक देश मे रहते है। प्रजातत्र मे हमेशा नागरिको के वैल्फेयर की बात की जाती है। कानून की छोटी छोटी बातो का इस्तेमाल नागरिको तक न पहुचने लिए नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी लिब्रल इन्टरप्रेटेशन करके लाभ देना चाहिए। सरकार की मशा मे बिल्कुल भी शक नही किया जा सकता। सरकार यह चाहती है कि माइनर ग्राड चिल्ड्रन को मुफ्त चिकित्सा का लाभ जरूर मिलना चाहिए। उपरोक्त निस्कर्ष के साथ कमेटी शिक्षा विभाग को हिदायत देती है कि श्री बी एल सेठी को उनकी देय राशि 3 64 133/ रुपये का भुगतान इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनो के अन्दर अन्दर किया जाये। यह फैसला इस केस के सभी पहलुओ को देखते हुए लागू होगा तथा विभाग इस फैसले का किसी और अन्य केस मे कोई लाभ नही देगा। This case should never be taken as precedent in other pending cases of the Government because every case is to be decided on its own facts and circumstances and different legal position is also involved in each case देय राशि का भुगतान इस फैसले के मिलने के 15 दिन के अन्दर कर दिया जाये और उसके बाद कमेटी को इस बारे मे सूचित किया जाये।

11 PETITION RECEIVED FROM SH S N BANSAL, RETD WORKSHOP INSTRUCTOR (AUTO), VAISH TECHNICAL INSTITUTE, ROHTAK REGARDING RELEASE OF PENSION, LEAVE ENCASHMENT AND OTHER BENEFITS WITH INTEREST

The Petition received from Sh S N Bansal Retd Workshop Instructor (Auto) reads as under —

प्रतिष्ठा मे

परम आदरणीय श्री भारत भूषण बतरा जी
चेयरमैन पैटिशनज कमेटी हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय **पैशन ग्रेच्यूटी लीव इनकैशमेन्ट व अन्य लाभ ब्याज सहित शीघ्र दिलवाने बारे।**

श्रीमान जी

मुझे वैश्य तकनीकी सस्थान रोहतक मे 19 08 1975 से 29 02 2012 तक कर्गशाला अनुदेशक के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत किया है। जबकि मेरी सेवानिवृति फोरमैन ऑटो के पद पर बनती है। उसके लिए मैनेजमैन्ट प्रिसिपल व कार्यालय के कुछ कर्मचारी जिम्मेवार है। श्रीमान जी दिनाक 17 02 2011 को बोर्ड ऑफ मैनेजमैन्ट की मीटिग वी टी आई मे हुई थी जिसमे मेरे सभी लम्बित मामले (ए से ई तक) जो जानबूझ कर हाउस मे मुझे नीचा दिखाने की नियत से रखे गये थे परन्तु श्री सुभाष गुप्ता जी उपप्रधान वर्किग कमेटी वी टी आई द्वारा की गई जाच ने प्रमाणित कर दिया कि मेरे ऊपर (एस एन बन्सल) जानबूझ कर आरोप लगाकर आर्थिक व मानसिक हानि पहुचाई गई है। इसने मैनेजमैन्ट के अधिकारी (पूर्व व वर्तमान) प्रिसीपल (पूर्व व वर्तमान) कुछ कर्मचारी डी टी ई व वी टी आई (सेवानिवृत व कार्यरत) शामिल है जिन्होने समय समय पर मुझे आर्थिक व मानसिक हानि पहुचाई है व अभी भी पहुचाने के लिए षडयन्त्र रच रहे है। जिसका प्रमाण मुझे आज तक सेवानिवृति के लाभ नहीं मिलना है। श्री राकेश गोयल जो बी ओ एम वी टी आई रोहतक के चयरमैन है तथा जिन्होने सरकारी नियमो को ताक पर रख कर दिनाक 17 02 2011 के फैसले को आज तक लागू नहीं होने दिया। जिसके कारण मेरे सभी सेवानिवृति लाभ रूके हुए है और समय पर लाभ न मिलन के कारण मेरा 230000 रु का ब्याना जब्त हो चुका है (प्रति सलग्न) और हमारे भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। मै इन सारे मामलो के बारे एफ सी टी श्री धनपत सिह जी से दिनाक 13 06 12 को व डी जी टी श्री अवतार सिह जी को अवगत करवा चुका हू। जिसकी प्रति साथ सलग्न है। उन्होने मुझे एक माह के अन्दर मेरे सभी सेवानिवृति लाभ दिलवाने व दिनाक 16 07 2012 को मिलने को कहा था परन्तु मुझे अभी तक मेरे सभी सेवानिवृति लाभ नहीं दिये गये है। मैने अनेको पत्र दोनो अधिकारियो को पहले भी लिखे है तथा अब भी अनेको चक्कर डी जी टी व एफ सी टी कार्यालय के लगा चुका हूँ। अब तो वी टी आई के कुछ कर्मचारियो द्वारा ऐसा सुना गया है कि डी जी टी हो या एफ सी टी हो चाहे सी एम ही क्यो न हो हम जल्दी से आपकी (मेरी) पैशन ग्रेच्युटी व अन्य लाभ नहीं मिलने देगे और यह भी कहते है कि कोर्ट का दरवाजा खट खटाओ। श्रीमान जी अब तो मेरी पहली कोर्ट तो आप ही है और आप परमुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी सेवानिवृति लाभ शीघ्र दिलवाने मे मेरी मदद करेगे जिसके लिए मै व मेरा परिवार सदैव ऋणी रहेगा।

नोट मेरे व मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेवार उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी होगे।

धन्यवाद सहित

प्रार्थी

हस्ता०/

दिनाक 24 08 2012

एस एन बन्सल

सेवानिवृत कर्मशाला अनुदेशक (ऑटो)

वी टी आई रोहतक।

The Petition was placed before the Committee and the department was asked to send its comments vide letter dated 27 08 2012 The Director General Technical Education Haryana sent his reply vide Memo No E-16(55)493 95 dated 24 09 2012 which reads as under —

REGD

From

The Director General
Technical Education Haryana
Panchkula

Memo No E 16 (55) 493-95
Dated Panchkula the 24/9/12

Sub **Release of retirement benefits/dues of Sh S N Bansal (Retd) W/S Instructor**

Reference your letter No 603/12 dated 21 5 2012 on the subject noted above

In this connection it is informed that the agenda item No 67 17 of 67th meeting has been approved by the State Government with the condition that the retirement benefits/dues (as admissible) of Sh S N Bansal (Retd) may also be cleared after adjusting anything recoverable as per rules

Sd /

Dy Director (Aided)
for Director General Technical Education
Haryana Panchkula

Endst No 495 /Aided Dated 24/9/12

A copy nof the above is forwarded to the secretary Haryana Vidhan Sabha Secretariat w r t their letter No 2/2012/15471 79 dated 1 8 2012 for information and further n/a Please

Sd /-

Dy Director (Aided)
for Director General Technical Education
Haryana Panchkula

The Committee orally examined the petitioner and the Department in its meeting held on 26 09 2012 in which the Director General Technical Education Department placed on record an order directing the Vaish Technical Institute Rohtak to clear all the admissible retiral benefits/dues to the petitioner The Committee further discussed the matter on 26 10 2012 in which the following directions were issued

> Management as well as Department is directed to make the payment of gratuity and pension of the petitioner within a period of 15 days and the compliance report may be sent to the Committee

The Committee again o ally examined the representatives of the Department Institute and the petitioner on 05 12 2012 and the Committee made the following observations —

OBSERVATION OF THE COMMITTEE

Two cheques i e one is amounting to Rs 5 15 922/- on account of Gratuity and the second one is amounting to Rs 1 14 706/ on account of pension have been issued in favour of Shri S N Bansal Retd Workshop Instructor VTI Rohtak Since this amount has been paid the petition is disposed off accordingly However the petitioner states that he may be given time for calculation whether exact amount or the gratuity as well as pension has been paid to him or not He can verify the facts If the cheques uncashed then he can file a fresh petition and he can come before the Committee

---

12 PETITION RECEIVED FROM SMT PARVEEN MAKKAR W/O SH ASHOK MAKKAR R/O 688/23, DLF COLONY, ROHTAK REGARDING ISSUANCE OF DIRECTION TO THE FINANCE DEPARTMENT TO GRANT 1st INCREMENT WHICH WAS DUE ON 01 07 2008

The Petition received from Smt Parveen Makkar reads as under —

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub **Request for issuance of direction to the Finance Department to grant 1st Increments which was due on 1 7 2008**

With due respect it is submitted that I Parveen Makkar wife of Shri Ashok Makkar resident of 688/23 DLF Colony Rohtak along with my three other colleagues had joined as Clerks in District and Sessions Court Rohtak on

2 1 2008 pursuant to the appointment letters issued on 22 12 2007 which were received on or about 26 12 2007 We could not join our service before 2 1 2008 as the Courts were closed from 25 12 2007 to 3 1 12 2007 due to winter vacations and on the 1st day or every year the Courts always remain closed

According to the sixth pay commission we were to be granted 1st increment on 1 7 2008 i e after completion of six months However we were not granted 1st increment on 1 7 2008 only on a very short ground that there is one day short to six months and six months have not been completed on 1 7 2008 As such 1st increment has been granted to us on 1 7 2009 i e after eighteen months of joining our service

It is also pertinent to mention that on our request the then learned District and Sessions Judge Rohtak vide his office endorsement No 8178 dated 16 10 2010 had recommended our case to the Finance Department by observing that the Courts are always closed on 1st day of the year and that is why the applicants could not join the service on 1 1 2008 and only on this technical objection the applicants shall suffer great financial loss through their whole service and it will go in lacs of rupees Thereafter vide letter No 1/41/2011-2PR (FD) dated 2 5 2001 the Finance Department had sought the copies of the appointment letters issued and accordingly the same were sent to the Finance Department by our Department Thereafter also sent a copy of list of holidays for the year 2008 showing that the Courts were closed on 1 1 2008 However a period of about eighteen months has been elapsed but no correspondence has been received from the Finance Department Our case is a very genuine and we are suffering from financial loss without our fault and only on a very short ground that there is one day less to six months to grant the 1st increment The copy of list of holidays is again enclosed herewith for your kind perusal

It is therefore requested that the record pertaining to our case may be called for from the Finance Department and necessary direction may be issued to the concerned Officer of the Finance Department to grant us 1st increment with effect from 1 7 2008 in stead of 1 7 2009

Thanking you in anticipation

Yours faithfully
(Parveen Makkar)
Wife of Ashok Makkar
r/o 688/23 DLF Colony
Rohtak

The Committee discussed this matter with the Joint Secretary Finance Department Haryana on 13 06 2012 08 08 2012 Under Secretary Finance and Principal Secretary to Govt Haryana Finance Department on 26 09 2012 The Committee finally passed the following order on 10 10 2012 disposing of the petition which reads as under —

Smt Parveen Makkar Petitioner has filed the instant petition with the prayer that she is entitled for the grant of first increment with effect from 01 07 2008 instead

of 01 07 2009 She has pleaded that she has been appointed as a clerk in the office of the District & Sessions Judge Rohtak vide department letter dated 22 12 2007 Had she joined on or before 01 01 2008 she would have been entitled for the increment with effect from 01 01 2008

The department controverted the claim pleading that according to rules she did not join on or before 1 st January 2008 Therefore she is not entitled for the relief i e grant of increment w e f 01 07 2008 as the increment is given after the completion of six months or above service Her case has also been recommended by the District & Sessions Judge Rohtak Copy of the letter of the District & Sessions Judge Rohtak has been attached as Annexure P-I

While going through the noting portion of the department it transpired that she could not join the service on 01 01 2008 as 01 01 2008 was a public holiday and it is also mentioned in the Gazette notification of the High Court which is also enclosed as Annexure P-II It has been also stated in the noting portion that she was not at fault as there was holiday on 01 01 2008 and earlier also there were winter vacations in the Court Annexure P II also depicts that right from 25th December up to 1st January the Courts were closed due to holidays Department is sticking to the rules and is reluctant to grant the relief

Departmental officers stated that if relief is given in this case then there may be many such type of cases But when the Committee examined the Officers of the Department the Committee was informed that there was no such case of delay of one day in the Department and it is not in their knowledge that even a single case of such type has been reported in the department

Looking into the peculiar facts and circumstances of the case technicalities of law are to sub serve the justice and not to defeat ends of the justice It is pertinent to mention that there was holiday on 1st day of the January on account of New Year day in the Judicial Courts in Haryana On technical grounds the applicant has joined her services on 02 01 2008 instead of 01 01 2008 Hence Committee recommends that the petitioner is entitled to the relief of grant of increment w e f 1 7 2008 instead of 1 7 2009 and her service be counted w e f 01 01 2008 for grant of the annual increment This case should not form as precedent

Copy of the orders be sent to the Petitioner as well as to the Department The Department is directed to comply with the orders of the Committee within a period of 15 days from the date of receipt of the copy of the orders

---

13 PETITION RECEIVED FROM PRESIDENT, THE HARYANA PUBLIC INTEREST SOCIETY, SIRSA (REGD), AGAINST SHATTERING OF CLASSROOM STUDIES BY UNSCRUPLOUS INSTITUTIONS IN THE STATE OF HARYANA

The Petition dated 13 12 2011 addressed to the Hon ble Speaker received from President The Haryana Public Interest Society Sirsa (Regd) and forwarded by the Hon ble Speaker to the Committee on 05 01 2012 reads as under —

The Haryana Public Interest Society, Sirsa (Regd)

Public Voice against Private Voice

515 Agarsen Colony Sirsa Haryana
voicehpis@gmail com

mail no Rep/GOVHY/1126 1156 Tuesday 13 December 2011

Hon ble the Chief Minister
The Government of Haryana
Chandigarh

Sub **Against Shattering of Classroom Studies by Unscrupulous Education Institutions in the State of Haryana**

Sir

Reference to the above mentioned matter it is submitted reverentially that the school education in Haryana is being dented in by the forged attendance for science students of the private shcools The same mal practice prevails in the private D Ed institutions and B Ed colleges where attendance for participants is forged for a bargained price This is despite the measures effectuated by the government of Haryana and the serious cognizance taken by the MHRD itself against this malaise The corollary of such a recurring and repugnant recession in schooling can be seen as wide spread corruption pushing the society towards its academic decay In actual practice this give and take mechanism by the beneficiary institutes teachers but in the well furnished drawing room the classroom has always been preferred unanimously and there is little against the concept of classroom learning This classroom institution may be as old as the institution of family because of the peer learning that otherwise is not feasible anywhere And this is the classroom where students sit together inhale togerher and criticise each other and thus get mature to be the fitter citizen of a state Their acquistion of the class language is supported by unique mass of words pouring down from 40-50 families and at least 5 10 automatically interacting cultures from which students come and assembled in a room And this classroom teachers a student to be adjustable in all adverse conditions and to bear with others to have patience and to be decent in behaviour while dealting with others No CD no software no TV channel could compete with the concept so far and it seems there cannot be better option than a classroom for the all round development of a sapling into a fully fledged personality

But here emerges the danger of breaking the classroom itself This is not due to any kind of deformity in the design of the classroom but due to the designs of the de facto devils working only for profit making This meanness of these monsters meanders in to the fragile minds of the students very clandestinely and for a craze for finding shortcuts to success As a result thereof attracted by the lucre of read made success the science stream supposed to be in schools strives to be the proud student of some prestigious private institute where prestige means hefty tution fee This may be amounting to mortgage of their ancestral property with banking firms for education loan This putrid prestige also besieges a student of

kota Pune and Madras to be wheel chaired in a cubicle skimming through a mass of books and notes for 24 X 7 He may be socially cindered psychologically senile and sexually castrated but he is to secure a position in IIT PMT or the like exam to get him admitted to an IIT or some other institutes as the case may be Very regretfully he may hang himself with the hook of a ceiling fan when his intelligence mismatches the actual intelligence required therein And in any way let us suppose if he succeeds to be an IIT and he would be overpowered with the urge of earning money that he owes to the banks and which he owes to his parents and relatives Likewise he will be nobody s nobody since in his mad race he has lost all his social circle to belong anywhere He will purely belong to money and by the time be is to avail the services of his earned money having the desired position he may be posited to the bed of a luxurious hospital having expertise to extract his enormous band accounts Whereas his equally good wife would be equally concerned about the career of their children if by chance they have instead of him screeching on the bed Absotutely obsolete he can envisage for himself without any mistake

On the contrary he might have got a chance to be a social man having fellow feeling on reciprocal basis if had been a product of an ordinary classroom that he missed inadvertently in his own accord under the pressure of materialism This does not remain the case of a singular student but it is the infection that can be detected in every other student and every other couple making husband wife but not parent in the true sense both worried about the career of their ward And this temperament amongst youth and their paretns which is to take them in the realm of nowhere needs to be clipped at the ealiest and it should be clipped by political will power using the government machinery for this social cause of maintaining the basis structure of society intact through classroom culture It should be highlighted and brought to the notice of the government

In the light of the above discussion it is very much required that the classroom should be protected and safeguarded from such threats as attacked in the extract of the discussion by every means so the erring institutes should be corrected by the law to check the absurd compulsions of overwhelmed parents to send their sons and daughters to faraway places for the purpose of isolating studies In the meanwhile since the need of the classroom provided to a student for overall development cannot be discarded it must be looked after by the authority itself

Moreover our education policy regarding schooling of a student does not allow anybody to be out of class The logic and inspiration for the policy framers might have been such as narrated above and they thought it proper not allow anybody to boast of bedridden stucy while delineating the policy and thus they preferred not only classroom way of mass learning but also seem condemning the concept of isolating learning by not allowing students to be out of classroom given the condition that a student shall remain present in the classroom as per the rules and regulation in this regard

But to break this system there is a surge of a crooked structure of private schools and D Ed institutes getting prompt for prepetration from the incorrigible

B Ed Colleges situated in the state of Haryana Unfortunately these three kinds of institutions have direct relationship with schooling of students which does not require intricate explanation Junta of the three types overtly or covertly happen to be vehement to break the concept of classroom for their personal gains These inveigle the system by fiddling with the record marking ABSENT as PRESENT for a given candidate not for a week a month but for the full academic session of two years All records pertaining to home assignments home exam and practical exam are faked for the feigning students just for funds

This when studied separately in the light of the above discussion the following description fits to their cheating mechanism

A **Forged Attendance 'facility' for science students in private schools**

The crime of Forged Attendance facility is not limited to professional courses only Rather it has extended its dreadful hood over to the schools under the phony spirit of competition among students and the vested interests of the schools In fact it is not-suprising in the given circumstances that majority among parents anticipate their wards to go for private coaching at KOTA or PUNE to excel the entire world as it seems This spirit is killing in nature As a result of all this an average student fed with ready-made notes and drilled through hard tests may show his IIT exam result as eligible for admission but the regular pressure of advanced studies may also cull his life out of his body This one aspect is of social distress

Equally the legal aspect is not less harsh than the social one A majority of private schools allow non attending to science stream that go for private coaching to reputed private institutes The private schools facilitate their non-attending students accepting bargained amounts of momey in addition to their non attending students accepting bargained amounts of money in addition to their regular fees and funds This cheating arrangement reciprocates the vested interests of the schools since it brings them dual benigit Simply put school would have to hire less number of staff would have to provide less accommodation less use of other facilities whild yielding more currency to then otherwise receipts This is in addition to the best recults for publication in media and for putting comparatively bigger hoardings next year with the exhibit of photos of meritotious students in turn soaring the names and fame of the cheat schools ultimately ending with completion of the food web by dragging of additional number of victims to these commercial shops This malpractice is common for the schools affiliated to CBSE and HBSE alike

The number of staff on A-roll disproportionate to the number of students in schools of reputed organizations where record cannot be tampered with scream out to endorse this fact and thus the facts can be verified by inspection of the records and the facts and figures can be easily verified to discipline the defaulting schools Really this is unpardonable

crime by the rancid psyche of proprietors of private shops and therefore the situation seeks instant intervention of the state government

Besides it would be appropriate to add that CBSE is only an examining body and have nothing to say about the general decline of schooling at the grassroot level It appeases itself with the better results shown by the students notwithstanding the fact that those too enthusiast were preparing at their own cost from a coaching point Whereas it is otherwise very easy for this examining body to introduce such an activity based project work in the classroom subject to regular inspection by state authorities and that could be submitted to the CBSE at the end of the session Since such an assignment would demand direct involvement of the concerned student and it will be under scanning by the system itself there will not be any chance of irregularity on the part of the participant Irregularity if any will be pointed out for its correction with counselling or coercion if needed and no institute will dishonour the guidelines given to it at the time of its establishment However it should be mandatory for the inspection team to sign a scheduled percentage ot the project reports feeding back the same to the headquarter as well

Hence it is very straightforward that regular inspection of all schools running in the state of Haryana irrespective of their affiliating board is the urgent need of the system to protect the interests of the common public

B Forged Attendance facility' in D Ed Institutes and B Ed Colleges

The last decade has been given to privatization of education on several accounts At the mention of the word privatization the word commercialization meanders into mind pointing towards profit making shops Really this is the overwhelming trend in all private institutes and colleges in the name of liberalization of education However the Government of Haryana has been very much concerned about these events and accordingly it has chalked out its prudent and very strict policy taking preventive measures to save the citizen from open loot by way of donation for admission In the meantime it is also true that the growth of private sector in education sector has left behind all the well defined limits of norms and guidelines of the state Pursuant to that the private sector feels free to cheat the mechanism by every means possible And it has set itself in such a junction that it caters to the illegal needs of the people by way of NON-ATTENDING scheme and collects every type of fee for doing nothing else than forging some papers and in lieu of it amasses unaccountable money to the tune of millions

The other reasons prompting forgery in attendance emerge from the root of the fact that the number of seats for D Ed and B Ed far exceeds the number of Haryana State students This gives a tough competition among the institutes and colleges for filling up their allotted seats For

this purpose they invite out of state candidates for admission promising them all types concessions but at very high bargained fee This catches the candidates by neck and they do D Ed /B Ed as the case may be while lying in their beds at their homes Very explicit the future of Indian education system is at stake since teachers trained in such a way are to teach in the coming days Hence it is condemnable and requires strict disciplinary actions

But from every aspect it emerges that money moves the mavericks subsequently rendering the present controlling system handicap Consequently the private D Ed institutes and B Ed Colleges all over Haryana allow NON ATTENDING to everybody whosoever seeks it by paying for it This wickedness allows them to minimize the number of their staff warrants less use of their facilities reduces the chances of strikes and indiscipline etc but flattens their bank balances for doing nothing practically Why would they adhere to moral code of conduct for nothing when they can earn crores by being practical alone ? And they have a long tales to narrate their vicious woes bluffing anybody who talks to them in this regard on moral terms

Admittedly this is a SOCIAL CRIME being prepetrated by the private institutions and demands deterrence to discipline the downgrading individuals It is to terribly affect the schooling system in the ultimate and therefore it should be the prime concern of the authorities vested with such powers which can have a check on this degradation of schooling system in the state of Haryana

On the contrary it cannot be denied that the truants would aspire for mass copying at the time of their annual examination and would again find their teachers ready with obnoxious agreement with the system and would further pay for this last time facility to their avail and therefore the future of not the candidate but the education system at large can be estimated with concrete conclusions This has already started glaring at schools by no job satisfaction at work place and then hankering after other modes of channelling of their energy in a number of wasteful means Whereas no civil society can let its teachers to sell cows and buffaloes to involve in real estate dealership to supply material to schools or to involve in petty politics But at present the ill bred teachers are preoccupied with such unwarranted works which label the entire schooling in the state Admittedly condemnable!

Evidently there is a dire need for checkmating the evil designs of the profit making private institution putting at stake the stipulated norms and guidelines of the education department

There a committee may kindly be constituted under the chair of District Magistrate with DEO as the secretary and 3-4 school principals as members thereof Respective BEOs can be given additional powers to inspect the private schools and D Ed institutes falling under his area of operation for their off and on inspection and physical verification of classes and thus to ensure the attendance of the students

in the private institutes similarly the services of the nearby college principals and the concerned area SDMs can be availed for the formation of such types of inspecting bodies at subdivision level that could ensure attendance in strict adherence to the guidelines and norms of the regulations affecting private institutes

It would be apt to add that this provision of constitution of committee would not entail any burden on exchequer of the state government given the very simple nature of its composition and viability at grassroot level Whereas it has the capacity to overhaul the system of the private schools and meet out the dire need to discipline them It is also added that ensuring of student presence in the schools and institutes as the case may be may result closing down of the irredeembale institute itself what to say of the cheating mechanism for fiddling of attendance

Accordingly it is the humble submission of the society that its much considered suggestion which is based upon elaborate discussions with academia and legal experts regarding setting up of inspecting committee vested with matching powers to correct the erring institutions by methods as deemed fit lawfully may kindly be considered for its introduction to save the existing classroom system from its slow but sure decline In this way a proper check should be imposed upon all types of the private institutions playing foul wilfully with the future of India

It is believed that the Government of Haryana would honour the suggestions of the society being tabled for its kind consideration

Thanking you

Yours faithfully

Sd /

President

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 11 01 2012 The Committee observed that the comments/reply of the concerned department may be obtained within 15 days The Petition was sent to the concerned department on 14 02 2012 and since no reply was received reminders were sent on 06 04 2012 and 18 09 2012 The Committee called the Director General Secondary Education Haryana to appear before the Committee on 31 10 2012

The Director General Secondary Education Haryana appeared before the Committee 31 10 2012 and the Committee discussed the matter with him and thereafter the Committee made the following observations —

Shri Ankur Gupta Director General Secondary Education has been examined He stated that Government is making its earnest efforts to look into the complaints if any received at any time at any stage No such complaint has been received by the Department Whenever any complaint has been received the same shall be duly scrutinized and the enquiry shall be made This petition is also of general nature and no specific allegation has been made against any institution In case of any particular grievance with the examples the Society can approach the Committee or any other legal forum At this stage looking into the facts and circumstances of this case the Committee finds difficult to entertain such type of petition Hence this petition is disposed off accordingly

14 PETITION RECEIVED FROM SH ANIL VIJ MLA REGARDING ACTION TAKEN AND NOT GIVEN ANY RESPONSE BY THE OFFICERS ON THE DIFFICULTIES/DEMAND OF AMBALA CANTT CONSTITUENCY

The Petition received from Sh Anil Vij MLA on 29 10 2012 is as under —
AMB/OCT/2012/109

अध्यक्ष याचिका समिति
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय **अबाला विधान सभा क्षेत्र के विकास के मामले मे अधिकारियो को दिए गए ज्ञापन पर न कार्रवाई करना और न ही कोई जवाब देने बारे।**

महोदय

अबाला छावनी विधान सभा क्षेत्र के साथ पिछले ढाई सालो से लगातार विकास मामले मे भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त अबाला को 16 अप्रैल 2012 को एक ज्ञापन देकर लगभग 30 ऐसे विषयो की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की थी जिनका शीघ्र समाधान होना आवश्यक है। उपायुक्त महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि ज्ञापन मे दी गई समस्याओ को सरकार तक पहुचाएगे और समस्याओ का जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। इस सबध मे 24 जून 2012 को आयुक्त अबाला को भी इन ज्ञापन के माध्यम से समस्याओ से अवगत कराया गया था। लेकिन प्रशासन ने कुछ रूकी हुई सडको का निर्माण दोबारा शुरू कराने के अतिरिक्त शेष कामो की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस विरोध को व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अबाला छावनी मे 13 मई 2012 को एक विशाल कैंडल मार्च निकाला जिसमे विधान सभा क्षेत्र के हर समुदाय सामाजिक धार्मिक सस्थाओ व गणमान्य व्यक्तियो ने बहुत बडी सख्या मे सहयोग किया। परतु प्रशासन ने समस्याओ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 11 जून 2012 को नगर निगम कार्यालय पर एक ऐतिहासिक धरना दिया गया जिसमे बहुत बडी सख्या मे लोगो ने भाग लिया। लोग 45 डिग्री तापमान की गर्मी वाले दिन प्रात 10 बजे से लेकर 3 बजे पाच घटे के धरने पर बैठे रहे। इतनी बडी सख्या मे धरने पर अबाला के इतिहास मे अब तक लोग एकत्रित नहीं हुए। कैंडल मार्च व नगर निगम पर इतनी बडी सख्या मे लोगो का शामिल होना दर्शाता है कि लोग विकास मे भेदभाव से आहत है तथा समस्याओ से शीघ्र समाधान चाहते है। स्वस्थ प्रजातान्त्रिक परपराओ के अनुसार शासन व प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। समय समय पर लोगो द्वारा उठाई जा रही समस्याओ का समाधान भी करना चाहिए व जनता को उन द्वारा उठाए गए प्रश्नो का उत्तर भी देना चाहिए। परतु बहुत खेद की बात है कि इतने दिनो से लोग इन समस्याओ को लेकर सघर्ष कर रहे है। लेकिन प्रशासन ने आज तक इसका न तो समाधान किया और न ही कोई जवाब देने की कोशिश की। शासन व प्रशासन की घटिया राजनीति सोच से ग्रसित होकर जनभावनाओ का अपमान हो रहा है। यह देश मे स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था का भी अपमान है।

जब तक विकास के मामले मे अबाला छावनी विधान सभा क्षेत्र को इसाफ नहीं मिल जाता सरकार के खिलाफ हमारा ऐलान ए जग जारी रहेगा और बहुत शीघ्र हम उपायुक्त कार्यालय मे एक दिन के उपवास के कार्यक्रम की घोषणा कर देगे। यदि फिर भी सरकार न मानी तो अगला कार्यक्रम हमारा महामहिम राज्यपाल हरियाणा को इस भेदभाव से अवगत कराने का है।

इन समस्याओ के सबध मे लिखित मे शिकायत भेजने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियो ने न तो

कोई जवाब दिया और न ही इस समस्या का समाधान की तरफ कोई ध्यान दिया। आपसे अनुरोध है कि आप इस सबध मे उचित जाच कर सबधित अधिकारियो को अबाला विधान सभा क्षेत्र के लोगो की समस्याओ को शीघ्र निपटाने के आदेश जारी करे। ताकि भविष्य मे जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। आवेदन के साथ अधिकारियो को भेजे गए ज्ञापन की कॉपी सलग्न है।

हस्ता/
अनिल विज
विधायक
अबाला छावनी।

भारतीय जनता पार्टी
अम्बाला छावनी
ज्ञापन

24 जून 2012

आयुक्त महोदय
अम्बाला मडल
अम्बाला।

विषय **अम्बाला छावनी विधान सभा क्षेत्र के साथ विकास के मामले मे जानबूझ कर भेदभाव किये जाने बारे तथा अम्बाला छावनी को बाढ़ से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिये।**

श्रीमान जी

अम्बाला छावनी विधान सभा क्षेत्र के साथ पिछले ढाई साल से लगातार विकास मासले मे भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त अम्बाला को 16 अप्रैल 2012 को एक ज्ञापन (कॉपी सलग्न) देकर लगभग 30 ऐसे विषयो की और ध्यान दिलाने की कोशिश की थी जिनका शीघ्र समाधान करना आवश्यक है। उपायुक्त महोदय ने यह आश्वासन भी दिया था कि वह ज्ञापन मे दी गई समस्याओ को सरकार तक पहुँचायेगे तथा जिन समस्याओ पर उनके स्तर पर समाधान हो सकता है उन को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगे लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ रुकी हुई सडको का निर्माण दोबारा शुरु करने के अतिरिक्त बाकी किसी भी कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस विरोध को व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अम्बाला छावनी मे 13 मई 2012 को एक विशाल कैडल मार्च निकाला जिसमे विधान सभा क्षेत्र के हर समुदाय सामाजिक धार्मिक सस्थाओ व गणमान्य व्यक्तियो ने बहुत बडी सख्या मे सहयोग दिया। परन्तु प्रशासन ने समस्याओ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसलिए 11 जून 2012 को नगरनिगम कार्यालय पर एक ऐतिहासिक धरना दिया गया जिसमे बहुत बडी सख्या मे लोगो ने भाग लिया। लोग लगभग 45 डिग्री तापमान की गर्मी वाले दिन मे प्रात 10 बजे से 3 बजे तक 5 घटे तक धरने मे बैठे रहे। इतनी बडी सख्या मे धरने पर अम्बाला के इतिहास मे अब से पहले लोग कभी एकत्रित नही हुए। कैडल मार्च व नगरनिगम पर इतनी बडी सख्या मे लोगो का शामिल होना दर्शाता है कि लोग विकास मे भेदभाव से आहत है तथा शीघ्र समस्याओ का समाधान चाहते है।

स्वस्थ प्रजातात्रिक परम्पराओ के अनुसार शासन व प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। समय समय पर लोगो द्वारा उठाई जा रही स्मस्याओ का समाधान भी करना चाहिए व जनता को उन द्वारा उठाये गये प्रश्नो का उत्तर भी देना चाहिए। परन्तु बहुत अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि

इतने दिनो से लोग इन मॉगो को लेकर सघर्ष कर रहे है और आज तक प्रशासन ने न इनका समाधान किया और न ही कोई जवाब देने कि कोशिश की है। शासन व प्रशासन घटिया राजनीतिक सोच से ग्रसित होकर जन भावनाओ का अपमान कर रहा है। यह देश मे स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था का भी अपमान है।

जब तक विकास के मामले मे अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र को इनसाफ नही मिल जाता सरकार के खिलाफ हमारा ऐलान ऐ जग जारी रहेगा और बहुत शीघ्र हम उपायुक्त कार्यालय पर एक दिन के उपवास के कार्यक्रम की घोषणा कर देगे तथा यदि फिर भी सरकार न मानी तो अगला कार्यक्रम हमारा महामहिम राज्यपाल हरियाणा को इस भेदभाव से अवगत करवाने का है।

आज हम 16 अप्रैल 2012 को उपायुक्त अम्बाला को दिये गये ज्ञापन मे उठाई गई 30 मागो पर तुरत कार्यवाही करने के अतिरिक्त माग पत्र मे अम्बाला को बाढ़ से बचाने के लिये किये गये अनुरोध पर भी कोई कार्यवाही न किये जाने पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते है। मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है लेकिन प्रशासन ने अभी तक बाढ से बचाव के पुख्ता इतजाम नहीं किये है। हमने अपने कार्यकर्ताओ के साथ क्षेत्र का दौरा किया तथा गन्दगी से भरे व रूके हुए नालो की तस्वीरे उपायुक्त अम्बाला को भेजी है। कुछ तस्वीरे इस ज्ञापन के साथ भी सलग्न है जो बाढ से बचाने के लिये प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की हकीकत ब्यान करने के लिये काफी है। बरसाती पानी की निकासी के लिए मुख्य दो नाले गुडगुडिया नाला व महेश नगर ड्रेन अनेक स्थानो पर कई फुट गाद से भरे है। गुडगुडिया नाला जो रेलवे स्टेशन के नीचे से निकल कर जाता है पूरी तरह गाद से भरा हुआ है यदि इसको साफ नहीं किया जाता तो अम्बाला को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। लोगो मे इसको लेकर बहुत चिता व्याप्त है। दो वर्ष पहले अम्बाला बाढ की विभीषिका को झेल चुका है तथा उस बाढ मे हुए नुकसान के बारे सोच कर व्यक्ति सिहर जाता है। बी डी फ्लार मिल के पीछे वाली कालोनियो मे पानी निकासी के लिये बनने वाले नालो को बीच मे ही छोड दिया गया है। टागरी नदी मे खनन न होने कई वजह से रेत का लेवल ऊँचा हो गया है। थोडी सी भी बारिश आने पर पानी शहर मे पानी घुस जाने का खतरा है। क्षेत्र के और भी छोटे बडे नाले गद से बद पडे है। गाव बोह के पास बनाई गई Diversion Drain के पम्प भी पूरी तरह ठीक नहीं किये गये है। महेश नगर ड्रेन पर भी पानी निकासी वाले पम्प भी काम नही कर रहे है। अम्बाला को बाढ से बचाने के लिये टागरी नदी से घघर नदी तक बनने वाले रिग बॉध को भी ठन्डे बस्ते मे डाल दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि आप अधिकारियो का कार्य दल बना कर उनकी देखरेख मे अम्बाला छावनी विधान सभा क्षेत्र के सभी छोटे बडे नालो को निश्चित समय सीमा के अदर साफ करवाने के आदेश जारी करे। गुडगुडिया नाला नगरनिगम के अतिरिक्त रेलवे व कैटोनमैट बोर्ड क्षेत्र से गुजरता है इसलिए रेलवे व बोर्ड के अधिकारियो को भी इसमे शामिल किया जा सकता है।

प्रस्तुत कर्त्ता

अनिल विज विधायक एव हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता तथा भारतीय जनता पार्टी अम्बाला छावनी के तीनो मडलो के प्रधान पदाधिकारी कार्यकारिणि सदस्य विशेष आमन्त्रित सदस्य सभी पार्षद पूर्व पार्षद सरपच व पूर्व सरपच।

मुख्य बिन्दु

1 अम्बाला छावनी विधान सभा हल्के के साथ विकास मे भेदभाव किया जा रहा है।

2 सारे क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है।

3 लोग बिजली पानी नाली सडक व सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओ के लिये तरस रहे है।

4 उपयुक्त सख्या मे सफाई कर्मचारी नहीं रखे जा रहे ठेकेदारी व्यवस्था से भ्रष्टाचार फैल रहा है कर्मचारियो का शोषण हो रहा है इसलिए सफाई भी ठीक नही हो रही।

5 सोलिड वेस्ट ट्रीटमेट प्लाट के लगाने के 5 वर्ष बाद भी उसे चालू नही किया जा रहा।

6 बरसाती पानी निकासी वाले सारे नाले गाद से भरे हुए है उनकी सफाई नहीं कराई जा रही।

7 टागरी नदी मे रेत का लेवल ऊँचा हो गया है उसे खोद कर गहरा नही किया जा रहा।

8 अम्बाला शहर व छावनी को बाढ से बचाने के लिये टागरी नदी से घघर नदी तक का रिंग बॉध बनाने की योजना खटाई मे डाल दी गई है।

9 नगरनिगम बनने के दो वर्ष बाद भी न तो नगरनिगम के चुनाव करवाये जा रहे है व न नगरनिगम मे उपयुक्त कर्मचारी व अधिकारी लगाए जा रहे है।

10 अम्बाला छावनी मे न रजिस्ट्री की जा रही है न म्यूटेशन हो रही है और न ही नक्शे पास किये जा रहे है।

11 नई अनाज मडी सब्जी मडी व चारा मडी मजूर होने के बाद भी बनाई नहीं जा रही।

12 सिविल अस्पताल की खस्ता हाल हालत को सुधारा नहीं जा रहा।

13 बाढ के दौरान अम्बाला छावनी विधान सभा क्षेत्र मे बहुत बडे स्तर पर सडको का नुकसान हुआ था उनको ग्राट मिलने के बावजूद बनाया नही जा रहा।

14 बोह रोड व बाडा रोड शुरू करके बीच मे छोड दिया गया है। (कैंडल मार्च के बाद काम शुरू कर दिया गया है)

15 आजादी की पहली लडाई 1857 मे अम्बाला छावनी से शुरु हुई थी उसकी याद मे विधान सभा मे आश्वासन मिलने के बाद भी स्मारक को बनाया नही जा रहा।

16 हाउसिग बोर्ड कालोनी मे नया सिवरेज सिस्टम ठीक ढग से व समय सीमा को ध्यान मे रख कर नहीं डाला जा रहा।

17 सिवरेज ट्रीटमैट प्लाट को गलत स्थान पर बना दिया गया मामला कोर्ट मे जाने से निर्माण रुक गया है उसका समाधान नही किया जा रहा।

18 सिवरेज सिस्टम व नहरी पानी सिस्टम का लाभ विधान सभा मे आश्वासन दिये जाने के बाद भी अम्बाला छावनी के बकाया क्षेत्रो व बधाई गई सीमा को नही दिया जा रहा।

19 बी डी मिल के पीछे के तीन नाले मजूर किये गये थे उनको बनाया नही जा रहा।

20 बी डी मिल के साथ लगती सडक बनाई नहीं जा रही है (कैंडल मार्च के बाद काम पूरा कर दिया गया है)।

21 रेलवे रोड राय मार्किट व 13 सरकारी जमीन पर बसी कालोनियो को अपने समय मे फ्रीहोल्ड करवा दिया गया था जिसकी अधिकतर लोगो ने रजिस्ट्री करवा ली थी परन्तु बाकी के बचे लोगो की रजिस्ट्री नही करवाई जा रही है।

22 अम्बाला छावनी मे तहबाजारी वाली भूमि को सरकार की निति अनुसार लोगो को नहीं दिया जा रहा।

23 नगरनिगम की सीमा मे आ गये गावो की शहरी फीडर से नही जोडा जा रहा है।

24 नगरनिगम की सीमा मे जो क्षेत्र शामिल किये गये है वहाँ पर विकास का बहुत बुरा हाल है उनके विकास के लिये विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

25 अम्बाला छावनी की कोर्ट व रोजगार कार्यालय वापिस अम्बाला छावनी नहीं लाये जा रहे।

26 सुभाष पार्क का पूर्ण विकास नही किया जा रहा ।

27 इन्डियन आयल डिपो को विधान सभा मे आश्वासन मिलने के बाद भी आबादी से बाहर नहीं निकाला जा रहा।

28 कालोनिया नियमित करने की घोषणा घोषणा ही रह गई है।

29 सरकार विपक्षी विधायको के क्षेत्रो मे कोई कार्य नही करना चाहती जो लोकतत्र का अपमान है।

30 D PLAN मे मजूर कार्य समय पर योजना तैयार न करने की वजह से ग्राट लैप्स हो गई थी उसके तहत मजूर कामो को करवाया नहीं जा रहा।

The Petition along with the Annexures i e Memorandum dated 24 06 2012 addressed to Commissioner Ambala Division Ambala was placed before the Committee on 31 10 2012 The Committee considered the petition and discussed the matter The Committee desired that a copy of the petition alongwith all the annexures be sent to the Deputy Commissioner Ambala as well as Commissioner Municipal Corporation Ambala Officers i e Deputy Commissioner Ambala and Commissioner Municipal Corporation Ambala are directed to submit the detailed reply to the Committee within a period of 15 days

The Committee discussed the subject matter of the petition with the Deputy Commissioner Ambala on 05 12 2012 along with the petition filed by Green Paryavaran Society Ambala and after discussion at length the Committee desired the Deputy Commissioner to submit a detailed reply to the Petition within a period of 30 days He was also asked to contact Sh Anil Vij MLA and the officer bearers of Green Paryavaran Society in the meantime to take their views in the matter and take necessary steps immediately The Deputy Commissioner Ambala sent his reply vide his letter date 08 01 2013 stating that he has held the meeting with Sh Anil Vij MLA on 07 01 2013 and after due deliberations with him a detailed report upon all the points had been prepared the said report was also attached with the reply The reply and the report are as under —

From

The Deputy Commissioner
Ambala

To

The Secretary
Fommittee of Petitions
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh

Memo No /239/PA/LFA
Dated 8 1 2013

Sub **Regarding no action taken and not given any response by the Officers on the difficulties/demands of Ambala Cantt Constituency**

In reference to your office memo No HVS/Petition 12-13 18544 dated 20 11 2012 It is submitted that the action taken report by the concerned departments upon the 30 points raised pointed out by Sh Anil Vij MLA Ambala Cantt has been discussed with him by holding the meeting on 7 1 2013 The Officers of the concerned department were also present in the meeting

After due deliberations with Sh Anil Vij MLA Ambala Cantt the detailed report upon all the points has been prepared and is being sent for submitting before the Committee of petitions on 9 1-2013 at 02 00 PM

The detailed report is hereby enclosed as submitted above

DA — As above

Sd /-
Deputy Commissioner
Ambala

विषय अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के मामले मे उठाये गये 30 मुख्य बिन्दुओ बारे विस्तृत रिपोर्ट।

Sr No — Point Raised in the Petition & Comments thereto

1 **अम्बाला छावनी विधानसभा हल्के के साथ विकास मे भेदभाव किया जा रहा है।**

अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र मे वर्ष 2009 10 मे 557 11 वर्ष 2010 11 मे 168 63 व वर्ष 2011 12 मे 568 63 की अनुदान राशि सरकार व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त हुई थी जिसे अम्बाला क्षेत्र मे सडको/गलियो स्ट्रीट लाईट आदि पर खर्च करके विकास कार्य सुचारु रूप से चलाये जा रहे है। इसके अतिरिक्त जनस्वास्थ्य विभाग लोक निर्माण विभाग सिचाई विभाग द्वारा भी जो विकास के कार्य करवाये गये है। उनका विस्तृत ब्यौरा आगामी बिन्दुओ मे दिया गया है। जिससे शहर के निवासियो को काफी सुविधाए उपलब्ध करवाई गई है तथा उनकी शिकायतो का भी निपटान करवाया गया है।

2 **सारे क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है।**

सारे क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम अम्बाला सदर क्षेत्र मे कुल146 पक्के सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारियो की कमी को पूरा करने के लिए तथा सफाई व्यवस्था को सुचारु करने के लिए नगर निगम द्वारा 560 सफाई कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से लिए गये है। जिनमे से 265 सफाई कर्मचियो को सेवाये अम्बाला सदर मे ली जा रही है। इसके अतिरिक्त अम्बाला सदर क्षेत्र मे 10 ट्रैक्टर ट्राली तथा 80 डस्टबीन भी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए लगाये गये है।

3 **लोग बिजली पानी नाली सड़क व सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओ के लिए तरस रहे हैं।**

Regarding drinking water supply in Ambala Sadar area It is submitted that canal based water supply scheme costing to Rs 33 19 Crore including cost of 4 boosting station rising main replacement of insanitary connections and providing water supply facilities under IHSDP have already been completed and commissioned in Ambala Sadar area In addition 40 nos tubewells at dirrerent areas in Ambala Sadar and Mahesh Nagar area are already working smoothly as such against the provision of 135 litre per capita per day as per norms the present per capita supply @ 135 litre per capita per day is being given to the inhabitants of Ambala Sadar

4 **उपयुक्त सख्या मे सफाई कर्मचारी नही रखे जा रहे ठेकेदारी व्यवस्था से भ्रष्टाचार फैल रहा है। कर्मचारियो का शोषण हो रहा है। इसलिए सफाई भी ठीक नही हो रही।**

सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम अम्बाला द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सफाई मजदूर लिये गये है जिससे स्थिति मे सुधार भी हुआ है।

5 **सोलिड वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लाट के लगने के 5 वर्ष बाद भी उसे चालू नही किया जा रहा है।**

इस सम्बन्ध मे EIA Clearance हेतु Ministry of Environment & Forest Government of India से प्राप्त करना है जिसके लिए जे एम एन्वायारोनेट कम्पनी को बतौर कन्सल्टेनट नियुक्त किया हुआ है। तदोपरान्त ही प्लान्ट को पूर्ण रूप से चालु किया जा सकेगा।

6 **बरसाती पानी निकासी वाले सारे नाले गाद से भरे हुए हैं। उनकी सफाई नही करवाई जा रही है।**

शहर मे पडने वाले नालो की समय समय पर सफाई व्यवस्था व बरसात के दिनो मे जे सी बी मशीन से सफाई करवाई जाती है।

7 **टागरी नदी मे रेत का लेवल उचा हो गया है। उसे खोदकर गहरा नही किया जा रहा।**

मिटिग मे लिए गए निर्णय अनुसार टागरी नदी मे खडे सरकण्डे व अन्य घास को हटाकर 25 फुट चौडे नाले मे तबदील करने बारे अम्बाला जगाधरी सडक पुल से अम्बाला सहारनपुर रेलवे लाईन नजदीक घसीटपुर गाव तक जे सी बी लगाकर ककरीट बनाई गई जिससे बाढ के दिनो मे 30 हजार क्यूसीक से ज्यादा पानी बिना किसी नुकसान के सही तरीके से निकल गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर प्रतिबध लगाये जाने के कारण रेत का खनन सम्भव न है।

8 **अम्बाला शहर व छावनी को बाढ़ से बचाने के लिए टागरी नदी से घघर नदी तक का रिंग बाध बनाने की योजना खटाई मे डाल दी गई।**

The issue as raised stands approved in the Flood Control meeting held on 16 1-2007 to prevent the flood water entering Ambala Cantt through the gap between River Tangri Bandh and Panjokhara minor But the work could not executed as the land measuring 4100 ft (appx.) beneath the proposed Bandh falls in the Punjab State

9 नगर निगम बनने के दो वर्ष बाद भी न तो नगर निगम के चुनाव करवाये जा रहे है व न नगर निगम मे उपयुक्त कर्मचारी व अधिकारी लगाये जा रहे है।

इस बिन्दु पर निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है।

10 अम्बाला छावनी मे न रजिस्ट्री की जा रही है न मुटेशन हो रही है और न ही नक्शे पास किये जा रहे है।

Excise Area के सम्बन्ध मे अभी रजिस्ट्री या नक्शा वापस करने की कार्यवाही नही की जा रही क्योकि भूमि की मलकीयत सरकार के नाम है।

11 नई अनाज मण्डी सब्जी मण्ड़ी व चारा मण्ड़ी मन्जूर होने के बाद भी बनाई नही जा रही।

The work for construction of boundary wall around the NGM/NVM/Chara Mandi has been allotted vide XEN HSAM Board Ambala office Memo No 1188 93 dated 17 07-2012 amounting to Rs 155 Lacs in which is in progress and about 80% work has been completed for the length upto DPC level Rough cost estimate amounting to Rs 1250 lacs for development of NGM/NVM/ Chara Mandi submitted to chairman board vide Chief Administrator office Memo No 631 dated 21 11 2012 for getting the necessary administrative approval After getting the approval tender for the work will be floated

12 सिविल अस्पताल की खस्ता हाल हालत को सुधारा नही जा रहा।

A total amount of Rs 70 58 000/ was sanctioned by the Govt of Haryana to PWD Ambala for the repair renovation work of G.H Ambala Cantt The repair/ renovarton work was done by PWD Division II Ambala Cantt during the year

(a) Repair of Renovation of two blocks

(b) Repair of Renovation of Surgical Ward

(c) Repair of Renovation of Medical Ward with nursing sister duty room

(d) Repair of Surgical ward now working as Mty Ward Except room of chemical examiner

(e) Construction of roads leading to the wards office and residences accept a portion in front of OPD block to main gate

(f) Repair of Renovation of New OT

(g) Paint & whitewash in private rooms working as SMO office

(h) Electricity work in wards and OPD blocks

(i) Construction of community kitchen

13 बाढ़ के दौरान अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र मे बहुत बड़े स्तर पर सड़को का नुकसान हुआ था उनको ग्रान्ट मिलने के बावजूद बनाया नही जा रहा।

बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सडको के रिपेयर हेतू 6 25 करोड नगर निगम क्षेत्र मे तथा 8 करोड रुपये की राशि लिक रोड की रिपेयर करने हेतू लोक निर्माण विभाग (भवन व सडके) द्वारा खर्च किया गया है। लिक रोड की कुल लम्बाई 22 किलोमीटर मे से 19 किलोमीटर पर काम पूरा हो गया है। 2 30 किलोमीटर पर कार्य चल रहा है। सडक 0 87 किलोमीटर पर कार्य अभी शुरु हुआ है। शेष सभी पूर्ण है।

14 बोह रोड व बाडा रोड को शुरु करके बीच मे ही छोड दिया गया है। (कैड़ल मार्च के बाद काम शुरु कर दिया गया है)

The work of both Boh and Bara roads has already been completed except some minor cross drainage work

15 आजादी की पहली लड़ाई 1857 मे अम्बाला छावनी से शुरु हुई थी उसकी याद मे विधान सभा मे आश्वासन मिलने के बाद भी स्मारक को बनाया नही जा रहा।

मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

16 हाउसिग बोर्ड कालौनी मे नया सिवरेज सिस्टम ठीक ढग से व समय सीमा को ध्यान मे रखकर नही डाला जा रहा।

2 70 करोड कीमत के अनुमान से हाउसिग बोर्ड कालौनी तक सिवरेज पाईप लाईन बिछाने का कार्य 70 प्रतिशत पहले ही पूरा हो चुका है शेष 30 प्रतिशत क्षेत्र का कार्य 31 03 2013 से पूर्व पूरा कर दिया जायेगा।

17 सिवरेज ट्रीटमैन्ट प्लाट को गलत स्थान पर बना दिया गया मामला कोर्ट मे जाने से निर्माण रुक गया है। उसका समाधान नही किया जा रहा।

सिवरेज ट्रीटमैन्ट प्लाट का कार्य सरकारी भूमि मे NBCC द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति मे मामला न्यायालय मे स्टे के कारण कार्य बन्द है। जिसमे आगामी तिथि 22 01 2013 है।

18 सिवरेज सिस्टम व नहरी पानी सिस्टम का लाभ विधानसभा मे आश्वासन दिये जाने के बाद भी अम्बाला छावनी के बकाया क्षेत्रो व बढ़ाई गई सीमा को नही दिया जा रहा।

(a) Sewerage System The Ambala Sadar area has been partially covered with sewerage system and approximately 60% area is provided and is running smoothly to provide the complete sewerage system in old Ambala Sadar area an estimate costing to Rs 37 20 crore has been approved under Urban Infrastructure Development Scheme for small and medium town (UIDSSMT) and funds Rs 18 64 crore has been released by the Govt against which the partly work is in progress and for balance work tenders are in process and work is likely to start with in 2 months In addition estimate amounting to Rs 343 68 Lacs has also been approved under IHSDP for Slum areas and the work for providing sewerage system in slum areas in progress for providing

sewerage scheme in balance area i e Mahesh Nagar including extended MC limit an estimate amounting to Rs 128 47 crore has already been submitted to the Govt The work of lying of sewerage system in these areas shall be taken up in hand after its approval

(b) Water Supply Regarding drinking water supply in Ambala Sadar area it is submitted that canal based water supply scheme costing to 33 19 Crore including cost of 4 boosting station rising main replacement of insanitary connections & providing water supply facilities under IHSDP have already been completed & commissioned in Ambala Sadar area In addition 40 nos tubewells at different areas in Ambala Sadar & Mahesh Nagar area are already working smoothly as such against the provision of 135 litre per capita per day is being given inhabitants of Ambala Sadar For providing canal based water supply system in Mahesh Nagar including extended MC limit area an estimate amounting to Rs 203 52 crore has already been sent to Govt for approval The work of canal based water supply system in Mahesh Nagar and extended M C area shall be taken up in hand after its approval

19 **बीड़ी मिल के पीछे 3 नाले मन्जूर किये गये थे उनको बनाया नही जा रहा।**

2 30 करोड वर्ष 2010 11 के दो अनुमान मन्जूर होने के बाद गणेश विहारए कराधान कालौनी बीडी मिल के पीछे शिव पुरी कालौनी एकता विहार गोबिन्द नगर सुभाष कालौनी हाउसिग बोर्ड कालौनी ग्वाल मण्डी व डेहा कालौनी के पानी की निकासी के लिए 4 ड्रेनो के निर्माण हेतू 2 30 करोड के अनुमान स्वीकृत होने उपरान्त उसमे से 0 77 करोड़ पहले ही रीलीज होने उपरान्त खर्च हो चुके है। अत लगभग 35 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है। शेष कार्य 1 53 करोड बकाया राशि प्राप्त होने पर सम्पन्न करवा दिया जायेगा।

20 **बीडी कमल के साथ लगती सड़क बनाई नही जा रही है। (कैड़ल मार्च के बाद काम पूरा कर दिया गया है)**

मौका पर सडक का निर्माण करवा दिया गया है।

21 **रेलवे रोड़ राय मार्किट व 13 सरकारी जमीन पर बसी कालौनियो को अपने समय मे फ्रीहोल्ड करवा दिया गया था जिसकी अधिकतर लोगो ने रजिस्ट्री करवा ली थी परन्तु बाकी के बचे लोगो की रजिस्ट्री नही करवाई जा रही है।**

उक्त के सम्बन्ध मे अधिकतर लोगो द्वारा अपनी रजिस्ट्रीया करवाई जा चुकी है। शेष बचे लोगो की रजिस्ट्रीयो के लिए मामले को Examine करवाया जायेगा।

22 **अम्बाला छावनी मे तहबाजारी वाली भूमि को सरकार की निति अनुसार लोगो को नही दिया जा रहा।**

तहबाजारी वाली भूमि बारे सरकार की सेवा मे नीति बनाने हेतू लिखा हुआ है।

23 **नगर निगम की सीमा मे आ गये गावो को शहरी फीड़र से नही जोडा जा रहा।**

The main guidelines/instructions of UHBVN for the conversion of feeding source from rural to urban mode are as under —

1 All villages/towns as have sub stations located within the village/town boundary or within 2 Km from 33 KV and above sub-station may be given supply as per urban mode

OR

All villages/town within municipal limits

OR

The localities outside municipal limits but contiguous with the city having continued urban infrastructure

2 Only those villages would be considered for supply on Urban mode which have AT&C losses equal to or less than the adjoining city area of these villages

3 The supply from the feeder shall not be given for tubewell connections for irrigation purpose

4 All single phase/three phase DS/NDS electromechanical meters will be replaced by electronic meters

5 The cost of line to be erected for conversion of supply from rural to urban mode will be borne by the consumers/Panchayats However the full cost of line should normally be recovered before starting the work but in case there are such consumers/Panchayats who are financially weak they may be allowed to make payment of cost of line in equitable installments over a period of six months

6 HVDS should be installed wherever decided by the SEs/OP

7 SEs (OP) would give due opportunity to the concerned Gram Pancyayat if they are interested to become Franchisee for meter reading bill distribution and cash collection

8 The facility of Urban mode shall made available to only those villages/ towns whose Gram Panchyat agrees to lying to HVDS in the village/ town

नगर निगम अम्बाला सदर क्षेत्र मे पडने वाले 7 गाव टुण्डला टुण्डली गरनाला जनेतपुर रामपुर माजरा बोह बब्याल अर्बन फीडर से जुड चुके है। शेष को जोडने हेतू सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

24 **नगर निगम की सीमा मे जो क्षेत्र शामिल किये गये है वहा पर विकास का बहुत बुरा हाल है उनके विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।**

1 61 करोड की लागत से पुजा विहार सलारहेडी जो अम्बाला सदर क्षेत्र का Extended Area है मे कार्य चल रहे है।

25 **अम्बाला छावनी की कोर्ट व रोजगार कार्यालय वापिस अम्बाला छावनी नही लाई जा रहे।**

इस बारे कोई विशेष टिप्पणी न है।

26 **सुभाष पार्क का पूर्ण विकास नही किया जा रहा।**

सुभाष पार्क मे विकास हेतू कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है।

27 इण्डियन आयल डिपो को विधानसभा मे आश्वासन मिलने के बाद भी आबादी से बाहर नही निकाला जा रहा।

इण्डियन आयल डिपो को आबादी से बाहर निकालने का निर्णय इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र मे न है।

28 कालौनिया नियमित करने की घोषणा घोषणा ही रह गई।

सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है।

29 सरकार विपक्षी विधायको के क्षेत्रो मे कोई कार्य नही करना चाहती जो लोकतन्त्र का अपमान है।

बिन्दु न0 1 अनुसार विकास काय करवाये जा रहे है।

30 D PLAN मे मन्जूर कार्य समय पर योजना तैयार न करने की वजह से ग्रान्ट लैप्स हो गई थी उसके तहत मन्जूर कामो को करवाया नही जा रहा।

वर्ष 2012 13 मे D PLAN स्कीम के तहत प्राप्त राशि मे से लगभग 2 करोड की राशि अम्बाला सदर विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्धारित की जाती है।

हस्ता0/
उपायुक्त अम्बाला एवम आयुक्त नगर निगम
अम्बाला।

The Committee again discussed this matter with the Deputy Commissioner Ambala and after detailed discussion on the matter and directing the Deputy Commissioner Ambala to get complete cleanliness for once by 15th February 2013 and to cemolish all those toilets which are not working and construct new toilets including for ladies also the Committee disposed of the petition filed by Sh Anil Vij MLA as action taken report has been submitted by the DC Ambala and the Administration is in the process of redressing all the grievances It was also advised to the DC Ambala to take care in attending the complaints given by Sh Anil Vij MLA

---

15 PETITION RECEIVED FROM SH KHAZAN SINGH S/O SH BHULLA RAM, VPO JADAULA, TEHSIL AND DISTT KAITHAL REGARDING CONTINUITY OF HIS B ED QUALIFICATION IN HIS UN EMPLOYOMENT CARD

The Petition received from Sh Khazan Singh reads as under —

To

Sh B B Batra Ji
Chairman Petitions Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub **Complaint against District Employment Officer, Kaithal**

Sir

With due respect It is stated that I had registered my M A Hindi in the Employment Office Pundri (Kaithal) in 1992 and after that I registered my B Ed degree in 1996

In August 2004 my registration was due for Re new and I went to the office but all the official were so busy that they asked me to come after three months When I visited on 18 11-2004 in the office they renewed my registration but did not mentioned my B Ed degree in the registration I came to know about this when I visited the District Employment Office Kaithal to get the age relaxation certificate on 28 06 2012 However I applied my on-line registration on 19 02-2011 and gave all the details of my academic record I also served in Haryana Government as a S S Master w e f 21 01 1997 to 19 04 1997 on contract basis I produced all my academic record to the official but no body bother about my problem Therefore I request you that kindly give a direction to District Employment Officer Kaithal to add my B Ed degree fromwhere they discontinued in the office record w e f 18 11 2004 It effects a lot to my career I shall be highly thankful to you oblige

Thanking you

Yours faithfully

Sd /-

Dated 10 7 2012

(Khazan Singh)
S/o Sh Bhulla Ram
VPO Jadaula Distt Kaithal
Mob 9416828961

The Petition was placed before the Committee on 19 07 2012 and the Committee observed that the comments of the concerned department may be obtained The Petition was sent to the concerned department on 26 07 2012 The District Employment Officer Kaithal vide his letter dated 22 08 2012 replied as under—

रोजगार विभाग हरियाणा
जिला रोजगार कार्यालय
कैथल

क्रमाक विधान सभा/2012 दिनाक 22/8/2012

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

विषय **Regarding Continuity of his B Ed qualification in applicant's Un employment Card**

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमाक न0 एच0वी0एस0/पेटीसन/12 13/ दिनाक चण्डीगढ 26 जुलाई 2012 के सदर्भ मे सादर निवेदन है कि प्रार्थी खजान सिंह पुत्र श्री भुल्ला राम गाव व डाकखाना जडौला जिला कैथल का नाम पजीकरण सख्या 434/96 पर एम0ए0 बी0एड0 के आधार पर दर्ज था

जिसका नवीनीकरण मास अगस्त 2004 मे प्रार्थी द्वारा कार्यालय मे आकर करवाया जाना था। प्रार्थी का नाम मास अगस्त 2004 मे नवीनीकरण न करवाये जाने के कारण से विभाग के नियमानुसार 1 सितम्बर 2004 को कट (लैप्स) गया था। प्रार्थी मे दिनाक 18/11/2004 को अपना नाम एम0ए0 पास के आधार पर पजीकरण सख्या 5411/04NCOX001 35 पर पुन दर्ज करवा लिया था और पुन पजीकरण के समय प्रार्थी ने बी0एड0 का प्रमाण पत्र पजीकरण के दौरान कार्यलय को प्रस्तुत नहीं किया। यदि प्रार्थी ने बी0एड0 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता तो प्रार्थी का नाम एम0ए0 के साथ बी0एड0 आधार पर भी दर्ज कर दिया जाता।

प्रार्थी ने अपनी शिकायत मे कहा है कि उसे बी0एड0 डिग्री की Seniority 18/11/2004 से दी जाये जबकि प्रार्थी ने इस कार्यालय मे बी0एड0 की डिग्री ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिनाक 19/2/2011 को पजीकृत करवाया है। अत विभाग क नियमानुसार प्रार्थी को बी0एड0 की Seniority 19/2/2011 से देय बनती है न कि दिनाक 18/11/2004 से यह आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय
हस्ता0/
(डॉ0 जवाहर लाल द्विवेदी)
जिला रोजगार अधिकारी
कैथल।

The District Employment Officer Kaithal was asked to appear before the Committee on 09 01 2013 The Committee discussed the matter with him and during the course of discussion he stated that the petitioner did not get his name renewed within the stipulated time and once the name is cut off from the Employment Office he has to get register as fresh candidate He has no power to relax the instructions and to enter his name in the back date with M A B Ed qualifications The Committee observed that the Director Employment along with District Employment Officer be again called on 16 01 2013 On 16 01 2013 the matter was discussed with both the Officers and after discussion the Committee made the following observations

> Dr J L Dwivedi DEO Kaithal and Mrs Rajni Parmar DEO O/o Directorate are present before the Committee The Committee has perused the record and the officers present have informed the Committee that the complete record has been finalized and it is available on the internet The record has been prepared in due official course and it has been finally approved by the final competent authority also otherwise it is lapse on the part of the applicant/petitioner himself At this stage the Committee cannot give any direction to make any change in the record In case petitioner desires he can seek the remedy from the court of law The petition is disposed off accordingly

16 PETITION RECEIVED FROM RESIDENTS OF VILLAGE CHAUGAWAN, BLOCK INDRI, DISTRICT KARNAL REGARDING REMOVING OF LIQUOR VEND, VILLAGE CHAUGAWAN, DISTRICT KARNAL

The Petition received from Residents of Village Chaugawan reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ।

विषय **गाव चौगावा खण्ड इन्द्री जिला करनाल मे शराब के ठेके को गाव के बाहर से उठाकर गाव के मौजूदा सरपच द्वारा अपनी ही दूकानो मे रिहायशी एरिये मे रिहायशी मकानो के बीच रखवाने बारे शिकायत व प्रार्थना करने पर ठेके उठाने से साफ इकार करने बारे व ठेके को उठवाने वालो को देख लेने की धमकी देने बारे और अपने सरपच पद का दुरूप्योग करने बारे कानूनी कार्यवाही करने बारे प्रार्थना।**

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि हम सभी गाव चौगावा खण्ड इन्द्री जिला करनाल के स्थाई निवासी है और आपसे निम्नलिखित प्रार्थना करते है कि –

1 यह कि हमारे का शराब का ठेका पहले गाव से बाहर बना हुआ था। लेकिन मौजूदा सरपच ने अपने पद का दुरुप्योग करते हुए अब इस ठेके को अपनी ही दूकानो मे रिहायशी एरिये मे रिहायशी मकानो के बिल्कुल पास रखवा दिया है। जिससे गाव के लोगो मे भारी रोष है क्योकि ठेके पर शराबी लोग दिन व सारी सारी रात बैठकर शराब पीते है और आपस मे जोर जोर से गाली गलौच करते है व हुडदग मचाते है। किलकारिया मारते है। जिससे स्कूल की छात्राओ को स्कूल मे आना जाना बडा मुश्किल हो गया है। ये लोग इतनी जोर जोर से आपस मे गालिया देकर बोलते है कि आस पास के घरो मे रहने वाले लोग सारी सारी रात सो नहीं पाते। ये आस पास के घरो के दरवाजो पर आकर रात को दरवाजे खटखटाते है और उत्पात मचाते है। इस ठेका के यहा पर रखे जाने से वहा से गुजरने वाली औरतो व लडकियो का भी जीवन दुर्भर हो गया है। मेन रोड होने के कारण हर किसी को केवल वहीं से गुजर कर जाना पडता है। जिससे शराबी लोग अपनी मनमानी करते है और गुण्डागर्दी करते है। जिससे ये शराबी लोग किसी बडी घटना को अजाम दे सकते है।

3 यह कि उक्त शराब का ठेका पहले गाव से बाहर लगा हुआ था लेकिन अब नियमो का उल्लघन करते हुए इस ठेके को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गाव के बीच मे ही रख दिया गया है जो कि आम आदमियो के जीवन को नरक बना रहा है।

4 यह कि इस बारे मे कई बार गाव के सरपच वा शराब के ठेकेदार से बात की गई लेकिन उन्होने इस ठेके को यहा से उठाने से साफ इकार कर दिया।

इसलिए आपसे हमारी हाथ जोडकर विनम्र प्रार्थना है कि उक्त शराब के ठेके को गाव से बाहर किसी अन्य स्थान पर रखवाया जाये और इस ठेके को यहा रखने व रखवाने वाले व्यक्तियो के खिलाफ

नियम तोडने बारे कानूनी कार्यवाही की जाय।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

हस्ता०/

दिनाक 17/7/2012

गाव चौगावा खण्ड इन्द्री

जिला करनाल हरियाणा।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 19 07 2012 The Committee considered the matter and desired that comments/ reply of the concerned department may be obtained within 15 days Petition was sent to the Department concerned on 31 07 2012 and since no reply was received Reminders were sent on 18 09 2012 and 23 11 2012 The Committee called the Excise & Taxation Commissioner Haryana Deputy Excise & Taxation Commissioner Karnal and Petitioner to appear before the Committee on 27 12 2012 The Committee made following observations—

Observation of the Committee

Shri S K Sharma Addl E T C is present before the Committee He states that liquor vend in village Chaugaoon Block Indri Distt Karnal has been closed after examining the complaint received from the Petition Committee Report of the closure is placed on the record Petition is disposed off accordingly

---

17 PETITION RECEIVED FROM MS VANI MALIK D/O SH VINOD KUMAR MALIK, H NO 101 MANSAROVER COLONY ROHTAK, REGARDING REIMBURSEMENT OF INTEREST SUBSIDY TO WOMEN FOR HIGHER EDUCATION

The Petition received from Ms Vani Malik reads as under —

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub **Reimbursement of interest subsidy to woman for higher education**

Sir

I raised a loan of Rs 10 00 000 lacs (Rs 1 60 000 on 8 4-10 on 8 40 000 on 1-9-10) for higher education from United Bank of India Sector 1 Rohtak I did my Post Graduation Program in Management from Indian School of Business Hyderabad in 2010 11 Haryana Govt pays interest subsidy @ 5% to the girls The Bank submitted the prescribed forms alongwith bank statement and interest

statement to Haryana Mahila Vikas Nigam Rohtak three times but the reimbursement of interest amount has not been credited to my bank account

You are requested to please advise the concern deptt to reimburse the Interest subsidy amount in my Account No 153301000 7108 with United Bank of India Sector 1 Rohtak

Thanking you

Yours faithfully
Sd /
Vani Malik
D/o Sh Vinod Kumar Malik
H N 101 Mansarover Colony
Rohtak-124001

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 08 12 2012 The Committee considered the matter and desired that comments of the concerned department may be obtained within 15 days Petition was sent to the Managing Director Women Development Corporation Haryana on 10 12 2012 The Committee called the Managing Director of this Corporation for discussion The Committee discussed the matter in its meeting held on 27 12 2012 and made the following observations —

Observation of the Committee

Smt Vinod Kumari Project Officer is present before the Committee She has submitted a status report which shows that an amount of Rs 79847/- has been released by the Government and the same shall be reimbursed/released in favour of the petitioner within 7 days Smt Vinod Kumari Project Officer is directed to look into the compliance of the order Petition is disposed off accordingly

---

18 PETITION RECEIVED FROM SMT SAVITA SHARMA D/O SH KAMAL KRISHAN R/O H NO 131/4, SHIVAJI COLONY, ROHTAK REGARDING RELEASE OF FAMILY PENSION TO HER

The Petition received from Smt Savita Sharma reads as under —

Before The Chairman, Petition Committee,
Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh

Smt Savita D/o Sh Kamal Krishan Resident of H No H No 131/4 Shivaji Colony Rohtak Tehsil & Distt Rohtak

Petitioner

Versus

1 State Govt of Haryana Through its Collector Rohtak

2 SDM/SDO Rohtak

Respondants

Petition for issuing income certificate of petitioner as per report dated 19 06 2012

Sir

The petiton submits as under —

1 That petitioner being divorce and having income less then Rs 30 000/ per annum is legally entitled to get the pension from Excise & Taxation Department Rohtak where the father of petitioner used to serve as per Govt Policy

2 That vide its letter reference no Pension 8/k 509/93/3926 2/ dated 15 03 2012 Deputy Excise & Taxation Commissioner (ST) Rohtak asked the petitioner to submit income certificate issued by revenue department for disbursing pension in favour of petitioner

3 That for fulfiling tne above said requirement of Excise & Taxation Department petitioner went to Tehsildar Rohtak and asked them to issue her income certificate by doing necessary inquiry in this regard but the learned Tehsildar Rohtak shown a letter to petitioner copy of the same is attacned herewith And on asking of revenue official and after reading the above said letter petitioner wrongly shownen her income as Rs 52 000/- per annum instead of Rs 30 000/- per annum and sent the income certificate to concern official of Excise & Taxation Department for issuing family pension order in favour of petitioner

4 That petitioner was shocked when she received letter Ref No Pension 8/K 509/93/234-35 dated 2/5/2012 from Deputy Commissioner Excise & Taxation (ST) Rohtak vide which petitioner was denied for entitlement of family pension due to excess of per annum income shown in income certificate issued by Revenue Department

5 The aggrieved by the decision of Excise & Taxation Department petitioner moved an application to SDM Rohtak for issuing Income Certificate on 14 06 2012 then petitioner went to Tehsildar Rohtak for assessing the annual income of petitioner and after obtaining report of concerned Revenue officials the Tehsildar Rohtak in original sent the application of petitioner to Learned SDM Rohtak on 19 06 2012

6 That the lerarned SDM rohtak has kept pending the decision on the above said application of petitioner since 19 06 2012 without any reasonable ground Petitioner met several times with Learned SDM Rohtak for passing the necessary orders on application of petitioner for issuing income certificate of petitioner from all sources as per the enquiry conducted and report submitted before him by revenue officers But all in vain

7 That petitioner is a poor divorcee lady and having annual income not more than Rs 30 000/ per annum Petitioner is suffering loss of family pension due to non issuance of income certificate by Learned SDM Rohtak

8 That petitioner is in need of income certificate for getting family pension

9 That petitioner also sent a legal notice U/s 80 of C P C on 24 08 2012 through registered post in which respondents were called upon to issue the requisite income certificate to petitioner as per report dated 19 06 2012 sent on application of petitioner by Learned Tehsildar Rohtak within 60 days from the date of receipt of this legal notice but the respondents have been failed to comply with the notice even they did not think necessary to give reply of the notice The contents of the same may be read as part and parcel of this petition And till today respondents have not issue the requisite income certificate to petitioner as per report dated 19 06 2012 Now the petitioner left with no other alternate way except to go in the shelter of law Hence this present petition Photocopies of the legal notice postal receipts and letter are attached herewith

It is therefore prayed that respondents may kindly be directed to issue the requisite income certificate to petitioner as per report dated 19 06 2012 sent on application of petitioner by Learned Tehsildar Rohtak as per law and in the interest of justice

Place

Date

Sd /
Petitioner

Smt Savita D/o Sh Kamal Krishan
Resident of H No 131/4 Shivaji Colony
Rohtak Tehsil & Distt Rohtak

Through counsel

Verification — Verified that all the contents of this petition are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein

Place

Date

Sd /-
Petitioner

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 26 10 2012 The Committee considered the matter and desired that comments of the concerned department may be obtained within 15 days Petition was sent to the quarter concerned on 20 11 2012 The Committee discussed the matter with Additional Excise and Taxation Commissioner Haryana and Deputy Excise &

Taxation Commissioner Rohtak who were asked to submit the scheme of family pension on 27 12 2012 The Sub Divisional Officer Rohtak sent a letter on 12 02 2013 attaching therewith the income certificate showing Rs 30 000/ per annum income of the petitioner The said letter and the income certificate was placed before the Committee on 13 02 2013 The petitioner was also present before the Committee on 13 02 2013 who stated that another income certificate has been issued to her and now she will be able to get the family pension Hence her grievance will be redressed The Committee made the following observations —

Smt Savita is present in pursuance to her petition The SDO (Civil) Rohtak has finally issued the income certificate She is satisfied with the relief The matter has been referred to the A G Office At this stage this petition is disposed off However if she faces any problem from the A G Office then she can again approach to this Petition Committee

---

50816—H V S—H G P Chd

©2013
Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and Printed by the Controller Printing and Stationery Department Haryana Chandigarh